

**परिशिष्ट 1.1 राज्य की रूपरेखा
(संदर्भ राजस्थान की रूपरेखा पृष्ठ 1)**

अ. सामान्य आंकड़े

क्र.सं.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्रफल		3,42,239 वर्ग किमी
2	जनसंख्या		
	अ	2001 की जनगणनानुसार	5.65 करोड़
	ब	2011 की जनगणनानुसार	6.85 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व 2001 (भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)		165 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	जनसंख्या घनत्व 2011 (भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)		200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या* (बीपीएल) (भारत का औसत = 29.5 प्रतिशत)		21.7 प्रतिशत
5	अ	कुल साक्षरता (2001) (भारत का औसत = 65.4 प्रतिशत) [®]	60.4 प्रतिशत
	ब	कुल साक्षरता (2011) (भारत का औसत = 73.0 प्रतिशत) [®]	66.1 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर* (प्रति 1000 जीवित जन्म) (भारत का औसत = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म)		47
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा** (भारत का औसत = 67.5 वर्ष)		67.5 वर्ष
8	गिनी गुणांक***		
	अ	ग्रामीण (भारत = 0.29)	0.23
	ब	शहरी (भारत = 0.38)	0.38
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2014-15 चालू दर पर		₹ 5,74,549 करोड़
10	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चक्रवृत्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2005-06 से 2014-15	राजस्थान	14.89 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	13.86 प्रतिशत
11	जीएसडीपी सीएजीआर (2005-06 से 2014-15)	राजस्थान	16.78 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	15.44 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि# (2005-06 से 2014-15)	राजस्थान	15.79 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	12.76 प्रतिशत

ब. वित्तीय आंकड़े^{\$}

विवरण	सीएजीआर		गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर	
	2005-06 से 2013-14		2013-14 से 2014-15	
	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान
	(प्रतिशत में)			
(क) राजस्व प्राप्तियों का	15.76	17.26	16.10	22.63
(ख) स्व-कर राजस्व का	15.32	16.48	10.51	15.52
(ग) कर-भिन्न राजस्व का	13.53	22.16	10.07	(-) 2.55
(घ) कुल व्यय का	15.23	16.66	19.32	23.74
(ङ) पूंजीगत व्यय का	14.61	15.57	21.87	17.85
(च) शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.10	16.05	14.55	26.49
(छ) स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	18.48	28.73	35.32
(ज) वेतन एवं मजदूरी का	15.23	14.67	11.75	14.05
(झ) पेंशन का	18.70	21.42	12.43	23.43

* गरीबी की माप एवं पद्धति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) का प्रतिवेदन योजना आयोग (जून 2014), पृष्ठ 66.

** शिशु मृत्यु दर (आर्थिक समीक्षा 2014-15, तालिका 9.1, पृष्ठ अ 129)।

*** गिनी-गुणांक (वर्ष 2009-10 के लिए उपलब्ध अन्तिम आंकड़े लिये गये हैं)

<http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data/2312/DatabookDec2014%20106.pdf>.

गिनी-गुणांक लोगों में आय की असमानता का मापक है। मूल्य दर शून्य से एक है, शून्य के पास होने पर असमानता कम होती है, एक के पास होने पर असमानता अधिक होती है।

भारत एवं राज्यों के लिए प्राक्कलित जनसंख्या 2001-2026 (संशोधित दिसम्बर 2006), जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित प्राक्कलित जनसंख्या पर तकनीकी समूह के प्रतिवेदन की तालिका-14

\$ वित्तीय आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखों पर आधारित हैं।

® सेन्सस इन्फो इंडिया 2011 अंतिम जनसंख्या योग।

परिशिष्ट 1.2 भाग-अ सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप (संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखे की संरचना:

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के द्वारा लिये गये समस्त कर्ज, आन्तरिक एवं बाह्य कर्ज तथा सरकार द्वारा कर्जों की अदायगी हेतु प्राप्त समस्त राशि से एक समेकित निधि का गठन होता है जिसे भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत गठित “राज्य की समेकित निधि” नाम से जाना जाता है।

भाग II: आकस्मिकता निधि: भारत के संविधान की धारा 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के पास उपलब्ध एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से वे विधानमण्डल से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान कर सके। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा इसी के बराबर की राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमण्डल की अनुमति बाद में प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, प्रावधायी निधियों, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप उचंत, प्रेषण, इत्यादि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से संबंधित प्राप्तियों एवं संवितरणों जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा में सम्मिलित किया जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यक्षीन नहीं है।

स्रोत: सरकारी लेखाकरण नियम, 1990

परिशिष्ट 1.2 भाग-ब वित्त लेखे का खाका
(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 2)

वित्त लेखे को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड 1 में सरकार के वित्तीय विवरणों को सारांशीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है जबकि विस्तृत विवरण खण्ड 2 में प्रस्तुत किये गये हैं।

विवरण संख्या	वित्त लेखे का खाका
खण्ड 1 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, 13 सारांशीकृत विवरण जैसा कि नीचे दिया गया है, लेखांकन की नीतियों के साथ लेखाओं से टिप्पणियां सम्मिलित हैं।	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण: सरकार की 2014-15 के अन्त में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संचयी आंकड़ें।
2	राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत वर्ष के दौरान राज्य की समस्त प्राप्तियों और वितरणों का सारांश।
3	राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार को उधारों से प्राप्तियाँ जिसमें भारत सरकार से ऋणों की प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा बाजार से उठाये गये कर्ज सम्मिलित हैं, का सारांश।
4	राजस्व एवं पूँजीगत व्यय तथा राज्य द्वारा उठाये गये पुनर्भुगतान ऋण कार्यकलाप और प्रकृति के अनुसार व्यय का सारांश।
5	कार्यकलाप के अनुसार वर्ष 2014-15 के अंत तक प्रगामी व्यय प्रदर्शित करने वाला पूँजीगत परिव्यय का सारांशीकृत विवरण।
6	राज्य के ऋण की स्थिति जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से उधार, अन्य देयताएँ और ऋण सेवा सम्मिलित हैं, का सारांश।
7	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये कर्जों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान, बकाया रही वसूलियों इत्यादि का सारांश।
8	अंश पूँजी में राज्य सरकार के निवेशों का सारांश।
9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का सारांश।
10	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का विवरण पत्र, जिन्हें अनुदानित संस्थाओं द्वारा समूहवार व्यवस्थित रखा गया है।
11	वर्ष के दौरान हुए प्रभारित तथा दत्तमत व्ययों का वितरण।
12	राजस्व लेखा के अतिरिक्त निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का सारांश लेखा।
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश।
खण्ड 2 का भाग I: इस भाग में लघुशीर्षों द्वारा खण्ड I के विवरणों के अनुरूप विवरण दर्शाते हुए 9 विवरण हैं:	
14	लघुशीर्ष वार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार लेखा।
15	आयोजना-भिन्न और आयोजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार राजस्व व्यय का लेखा तथा गत वर्ष की राशियों से तुलना।
16	आयोजना भिन्न और आयोजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार पूँजीगत व्यय का लेखा तथा गत वर्ष की राशियों से तुलना। वर्ष के अन्त तक संचयी पूँजीगत व्यय भी प्रदर्शित किये गये हैं।

विवरण संख्या	वित्त लेखे का खाका
17	लघुशीर्ष वार उधारों, सभी कर्जों के परिपक्व और पुनर्भुगतान की रूपरेखा का ब्यौरेवार लेखा।
18	राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और अग्रिमों, वर्ष के दौरान अदा किये गये कर्ज की राशि, 31 मार्च 2015 को शेष का ब्यौरेवार लेखा।
19	वर्ष 2014-15 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार लेखा।
20	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का समूहवार विस्तृत पत्र।
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहार का ब्यौरेवार लेखा।
22	लोक लेखा के अन्तर्गत आरक्षित निधियों के पृथक रक्षित शेषों में निवेश का ब्यौरा।
<p>खण्ड 2 का भाग II: वित्त लेखे के भाग II में 12 परिशिष्टों में वेतन, सहाय्य, योजनावार एवं संस्थाओं के अनुसार सहायतार्थ अनुदान के ब्यौरे, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में योजनावार व्यय तथा राज्य की आयेजनागत योजनाएं इत्यादि शामिल हैं।</p>	

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3 राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आँकड़ें
(संदर्भ अनुच्छेद 1.4; पृष्ठ 14)

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग क: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	45,928	57,011	66,913	74,471	91,327
(i) कर राजस्व	20,758(45)	25,377(45)	30,503(46)	33,478(45)	38,673(42)
कृषि आय पर कर	- ¹	- ¹	- ¹	- ¹	- ¹
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	12,630(61)	15,767(62)	18,575(61)	21,216(63)	24,170(63)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,861(14)	3,287(13)	3,988(13)	4,982(15)	5,586(14)
वाहनों पर कर	1,612(8)	1,927(8)	2,283(7)	2,499(8)	2,830(7)
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	1,941(9)	2,651(10)	3,335(11)	3,125(9)	3,189(8)
भू-राजस्व	222(1)	209(1)	304(1)	338(1)	289(1)
माल तथा यात्री कर	231(1)	220(1)	249(1)	288(1)	956(3)
अन्य कर	1,261(6)	1,316(5)	1,769(6)	1,030(3)	1,653(4)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	6,294(14)	9,175(16)	12,133(18)	13,575(18)	13,229(15)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	12,856(28)	14,977(26)	17,103(25)	18,673(25)	19,817(22)
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	6,020(13)	7,482(13)	7,174(11)	8,745(12)	19,608(21)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	13	16	8	10	15
3. कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	319	1,229	1,102	316	1,004
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	46,260	58,256	68,023	74,797	92,346
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,977	5,918	9,955	14,491	18,141
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,617(95)	5,581(94)	9,755(98)	14,232(98)	17,346(96)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जें एवं अग्रिम	360(5)	337(6)	200(2)	259(2)	795(4)
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	54,237	64,174	77,978	89,288	1,10,487
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	300
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,19,490	1,27,215	1,56,563	1,07,978	1,26,382
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,73,727	1,91,389	2,34,541	1,97,266	2,37,169
भाग ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	44,873	53,654	63,462	75,510	94,542
आयोजना	8,752(20)	12,416(23)	14,235(22)	17,364(23)	27,444(29)
आयोजना-भिन्न	36,121(80)	41,238(77)	49,227(78)	58,146(77)	67,098(71)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	16,737(37)	18,709(35)	20,496(32)	23,340(31)	27,868(30)
सामाजिक सेवाएँ	17,895(40)	21,928(41)	25,293(40)	31,486(42)	37,754(40)
आर्थिक सेवाएँ	10,220(23)	12,744(24)	17,408(27)	20,435(27)	28,920(30)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	21(-)	273(-)	265(1)	249(-)	- ²
11. पूँजीगत व्यय	5,251	7,119	10,683	13,664	16,103
आयोजना	5,231(99)	7,103(99)	10,682(100)	13,676(100)	16,087(100)
आयोजना-भिन्न	20(1)	16(1)	1	(-) 12	16(-)
सामान्य सेवायें	155(3)	204(3)	249(2)	334(3)	534(3)
सामाजिक सेवाएँ	1,836(35)	1,997(28)	2,840(27)	4,551(33)	5,838(36)
आर्थिक सेवाएँ	3,260(62)	4,918(69)	7,594(71)	8,779(64)	9,731(61)
12. कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	262	1,109	2,412	812	701
13. कुल योग (10+11+12)	50,386	61,882	76,557	89,986	1,11,346
14. लोक ऋणों की अदायगी	3,317	3,490	4,707	4,115	4,960
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,863(86)	3,022(87)	4,239(90)	3,624(88)	4,451(90)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जें एवं अग्रिम	454(14)	468(13)	468(10)	491(12)	509(10)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	300
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	53,703	65,372	81,264	94,101	1,16,606
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	1,16,298	1,22,320	1,50,175	1,05,605	1,22,060
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	1,70,001	1,87,692	2,31,439	1,99,706	2,38,666

¹ 2010-11 : ₹ 0.01 लाख, 2011-12 : ₹ 0.01 लाख, 2012-13 : ₹ 0.01 लाख, 2013-14: मात्र ₹ 24 और 2014-15: ₹ 0.01 लाख।

² मात्र ₹ 0.09 करोड़।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग: ग घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(+) 1,055	(+) 3,357	(+) 3,451	(-) 1,039	(-) 3,215
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 4,126	(-) 3,626	(-) 8,534	(-) 15,189	(-) 19,000
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(+) 3,243	(+) 4,266	(-) 194	(-) 6,126	(-) 8,537
भाग: घ अन्य आँकड़े					
23. ब्याज अदायगियों (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	7,369	7,892	8,340	9,063	10,463
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	10,216	12,337	16,218	18,763	28,329
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) [®]	3,38,348	4,14,179	4,70,178*	5,17,615 [®]	5,74,549 [∇]
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अन्त में)	99,285	1,06,560	1,17,809	1,29,910	1,47,609
29. बकाया प्रतिभूतियों (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	50,692	60,711	75,546	85,911	94,578
30. दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	88,112	97,566	1,13,340	1,40,526	1,61,918
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	152	160	166	219	199
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	7,142	7,993	8,659	8,393	11,167
भाग ड: राजकोषीय स्थिति सूचक (प्रतिशत में)					
I. संसाधनों की गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	6.1	6.1	6.5	6.5	6.7
स्व-कर भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	1.9	2.2	2.6	2.6	2.3
केन्द्रीय अन्तरण/जीएसडीपी	5.6	5.4	5.2	5.3	6.9
II. व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/जीएसडीपी	14.9	14.9	16.3	17.4	19.4
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	109.7	108.5	114.4	120.8	121.9
राजस्व व्यय/कुल व्यय	89.1	86.7	82.9	83.9	84.9
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	35.5	35.4	33.0	35.0	33.9
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	20.3	20.6	22.7	22.7	26.0
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	10.4	11.5	14.0	15.2	14.5
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	10.1	11.2	13.6	14.8	14.0
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(+) 0.3	(+) 0.8	(+) 0.7	(-) 0.2	(-) 0.6
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी	(-) 1.2	(-) 0.9	(-) 1.8	(-) 2.9	(-) 3.3
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(+) 1.0	(+) 1.0	0.0	(-) 1.2	(-) 1.5
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-	-	-	6.8	16.9
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएँ/जीएसडीपी	29.3	25.7	25.1	25.1	25.7
राजकोषीय देयताएँ/राजस्व प्राप्तियाँ	216.2	186.9	176.1	174.4	161.6
प्रारम्भिक घाटा की तुलना में प्रमात्रा विस्तार (₹ करोड़ में)	21,183	18,861	6,306	(-) 2,827	(-) 3,990
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	99.7	100.5	98.2	97.3	94.6
V. अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2
चालू राजस्व शेष (₹ करोड़ में)	5,503	11,192	13,187	11,131	9,148
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ	0.71	0.76	0.81	0.82	0.82

स्रोत : वित्त लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उपशीर्षक का योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

@. स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

* प्रावधिक अनुमान

⊗ त्वरिक अनुमान

∇ अग्रिम अनुमान

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

**परिशिष्ट 1.4 वर्ष 2014-15 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ अनुच्छेद 1.2; पृष्ठ 2)**

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					आयोजना- भिन्न	आयोजना	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ			I. राजस्व व्यय	75,509.59	67,098.09	27,443.88	94,541.97
कर राजस्व	33,477.70	38672.94	सामान्य सेवाएँ	23,339.22	27,347.48	520.67	27,868.15
			सामाजिक सेवाएँ	31,486.09	24,788.42	12,964.97	37,753.39
कर-भिन्न राजस्व	13,575.25	13,229.50	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	15,307.66	13,110.82	6,252.11	19,362.93
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,414.40	3,005.64	2,967.76	5,973.40
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	18,673.07	19,816.97	जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास	4,320.03	3,696.08	982.95	4,679.03
			सूचना एवं प्रसारण	158.68	49.58	0.35	49.93
आयोजना-भिन्न अनुदान	3,550.42	4,527.04	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,055.84	139.54	825.70	965.24
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	2,993.21	14,885.16	श्रमिक तथा श्रम कल्याण	310.83	376.50	75.04	451.54
			समाज कल्याण तथा पोषण	5,833.00	4,376.59	1849.31	6,225.90
			अन्य	85.65	33.67	11.75	45.42
केन्द्र एवं केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	2,200.73	195.30	आर्थिक सेवाएँ	20,435.59	14,962.10	13,958.24	28,920.34
			कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप	3,522.41	1,472.38	2,516.39	3,988.77
			ग्रामीण विकास	4,990.42	1,772.50	8,632.13	10,404.63
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.95	-	0.51	0.51
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,672.20	1,631.17	88.13	1,719.30
			ऊर्जा	7,219.94	8,674.78	443.26	9,118.04
			उद्योग तथा खनिज	271.77	154.63	87.21	241.84
			परिवहन	1,610.27	1,149.04	695.34	1,844.38
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	19.02	5.72	40.06	45.78
			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1,128.61	101.88	1,455.21	1,557.09
			सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	248.69	0.09	-	0.09
योग	74,470.38	91,326.91	योग	75,509.59	67,098.09	27,443.88	94,541.97
II. अनुभाग-ख को अप्रेनीत किया गया राजस्व घाटा	1,039.21	3,215.06	II. अनुभाग-ख को अप्रेनीत राजस्व अधिशेष	-	-	-	-
योग	75,509.59	94,541.97	योग	75,509.59	67,098.09	27,443.88	94,541.97

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					आयोजना- भिन्न	आयोजना	योग
III. प्रारम्भिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	12,886.72	10,446.44	III. प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-	-	-
IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	10.27	14.57	IV. पूँजीगत परिव्यय	13,664.66	15.32	16,087.37	16,102.69
			सामान्य सेवाएँ	334.37	5.19	528.54	533.73
			सामाजिक सेवाएँ	4,551.32	9.72	5,828.41	5,838.13
			शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	63.36	-	56.41	56.41
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	337.23	-	484.32	484.32
			जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास	3,824.12	9.72	5,011.12	5,020.84
			सूचना एवं प्रसारण	2.82	-	2.85	2.85
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	225.62	-	194.03	194.03
			समाज कल्याण तथा पोषण	67.02	-	24.58	24.58
			अन्य	31.15	-	55.10	55.10
			आर्थिक सेवाएँ	8,778.97	0.41	9,730.42	9,730.83
			कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप	384.24	0.40	548.65	549.05
			ग्रामीण विकास	497.40	-	455.84	455.84
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	297.10	-	262.08	262.08
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,076.51	-	1,270.60	1,270.60
			ऊर्जा	3,953.01	-	4,244.21	4,244.21
			उद्योग तथा खनिज	122.83	-	(-) 30.82	(-) 30.82 ³
			परिवहन	2,377.08	-	2,786.33	2,786.33
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	1.24	-	0.11	0.11
			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	69.56	0.01	193.42	193.43
			योग	13,664.66	15.32	16,087.37	16,102.69

³ ऋणात्मक अंक राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड, जयपुर से वापस किये जाने के कारण है।

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					आयोजना- धिन	आयोजना	योग
V. कर्जे एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	315.53	1,004.44	V. संवितरित कर्जे तथा अग्रिम	811.21	55.25	645.53	700.78
विद्युत परियोजनाओं से	56.61	786.01	विद्युत परियोजनाओं से	-	-	241.40	241.40
सरकारी कर्मचारियों से	0.20	0.08	सरकारी कर्मचारियों से	-	-	-	-
अन्य से	258.72	218.35	अन्य से	811.21	55.25	404.13	459.38
VI अद्योनीत राजस्व अधिशेष	-	-	VI अद्योनीत राजस्व घाटा	1,039.21	-	-	3,215.06
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	14,491.44	18,140.82	VII लोक ऋण की वापस अदायगी	4,115.62	-	-	4,960.04
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आन्तरिक ऋण	14,232.71	17,346.47	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आन्तरिक ऋण	3,624.72	-	-	4,450.96
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे तथा अग्रिम	258.73	794.35	भारत सरकार को कर्जे तथा अग्रिम की वापस अदायगी	490.90	-	-	509.08
VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	300.00	VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	300.00
IX आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि	-	-	IX आकस्मिक निधि से व्यय	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,07,978.58	1,26,382.20	X. लोक लेखा संवितरण	1,05,605.40	-	-	1,22,060.62
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	6,311.49	7,081.84	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	3,790.25	-	-	4,100.09
आरक्षित निधियाँ	2,232.99	1,724.13	आरक्षित निधियाँ	1,965.52	-	-	1,752.17
उच्चत तथा विविध	90.70	21.79	उच्चत तथा विविध	78.60	-	-	61.78
प्रेषण	9,907.40	10,487.63	प्रेषण	9,913.73	-	-	10,488.05
जमा तथा अग्रिम	89,436.00	1,07,066.81	जमा तथा अग्रिम	89,857.30	-	-	1,05,658.53

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					आयोजना- भिन्न	आयोजना	योग
XI अन्तिम ओवरड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-	IX अन्त में नकद शेष	10,446.44	-	-	8,949.28
			खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 0.32	-	-	1.85
			रिजर्व बैंक के पास जमा	6.67	-	-	29.41
			विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	4.59	-	-	4.26
			रोकड़ शेष निवेश	8,997.56	-	-	7,628.58
			चिन्हित निवेश निधियाँ	1,437.94	-	-	1,285.18
योग	1,35,682.54	1,56,288.47	योग	1,35,682.54			1,56,288.47

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.5 31 मार्च 2015 को राजस्थान सरकार की सारीकृत वित्तीय स्थिति
(संदर्भ अनुच्छेद 1.10.1; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

देयतायें	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2015 को
आन्तरिक ऋण	80,580.93	93,476.44
बाजार से लिए गए ब्याज वाले कर्ज	51,383.98	61,386.11
बाजार से लिए गए बिना ब्याज वाले कर्ज	0.19	0.19
भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	41.03	35.77
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	20,021.97	20,125.74
अन्य संस्थाओं से कर्ज	9,133.76	11,928.63
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	6,748.83	7,034.10
1984-85 से पूर्व के कर्ज	5.40	5.40
आयोजना-भिन्न कर्ज	49.25	43.89
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	6,689.61	6,980.24
केन्द्र आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	0.29	0.29
केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	4.28	4.28
आकस्मिकता निधि	200.00	500.00
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	29,265.67	32,247.42
जमा राशियाँ	12,153.97	13,565.10
आरक्षित निधियाँ	2,598.67	2,570.63
उचन्त तथा विविध शेष	2.20	1.78
योग	1,31,550.27	1,49,395.47
सम्पत्तियाँ	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2015 को
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय -	92,883.17	1,08,971.29⁴
कम्पनियों, निगमों इत्यादि का हिस्सा पूँजी में निवेश	23,518.00	27,909.59
अन्य पूँजीगत परिव्यय	69,365.17	81,061.70
कर्ज और अग्रिम	5,004.02	4,700.36
विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज	3,104.54	2,559.93
अन्य विकासात्मक कर्ज	1,900.76	2,141.79
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	(-) 1.28	(-) 1.36 ⁵
आरक्षित निधि विनियोजन	1,437.94	1,285.18
अग्रिम	2.89	5.74
प्रेषण शेष	-	-
उचन्त तथा विविध शेष	22.72	62.71
रोकड़	9,008.50	7,664.10
खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 0.32	1.85
रिजर्व बैंक के पास जमा	6.67	29.41
विभागीय रोकड़ शेष	1.07	1.00
स्थायी अग्रिम	3.52	3.26
रोकड़ शेष निवेश	8,997.56	7,628.58
सरकारी लेखे पर घाटा	23,191.03	26,706.09
(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	1,039.21	23,191.03
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	300.00
(iii) वर्ष के प्रारम्भ पर संचयी घाटा	22,151.82	3215.06
कम करे: चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
कम करे: विविध घाटा	-	-
योग	1,31,550.27	1,49,395.47

⁴ चालू वर्ष की पूँजीगत प्राप्तियाँ शून्य दर्शायी गयी हैं क्योंकि वर्ष के अन्त तक सकल पूँजीगत व्यय में से ₹ 14.57 करोड़ (पूँजीगत विनिवेश) की प्रोफार्मा कमी की गयी है।

⁵ ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरण-पत्रों में दिये गये सारीकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गई टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे में घाटा, जैसा **परिशिष्ट 1.5** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपचय आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टॉक आँकड़ों में अन्तर आदि जैसी मदें लेखाओ मे दर्शित नहीं है। उचंत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटारा बाकी है, शामिल हैं। लेखाओं में दर्शाये आँकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “रिजर्व बैंक के पास जमा” के अंतर्गत सूचित किये आँकड़ों के मध्य ₹ 1.79 करोड़ (नामे) का अंतर था। हालांकि, अंकमिलान और परवर्ती समायोजन के उपरान्त अगस्त 2015 तक अन्तर राशि ₹ 0.27 करोड (नामे) का अंकमिलान होना बकाया था।

परिशिष्ट 1.6 2014-15 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ें
(संदर्भ अनुच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 6)

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)	वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)
1	2	3	4 (3-2)	5
(1) राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	1,06,125	91,327	(-) 14,798	(-) 13.94
(क) कर राजस्व	40,655	38,673	(-) 1,982	(-) 4.88
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	25,625	24,170	(-) 1,455	(-) 5.68
राज्य उत्पाद शुल्क	5,319	5,586	267	5.02
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	50	5	(-) 45	(-) 90.00
वाहन कर	2,950	2,830	(-) 120	(-) 4.07
मुद्रांक और पंजीयन शुल्क	4,200	3,189	(-) 1,011	(-) 24.07
माल तथा यात्री कर	345	956	611	177.10
भू-राजस्व	401	289	(-) 112	(-) 27.93
विद्युत कर तथा शुल्क	1,697	1,534	(-) 163	(-) 9.61
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	68	114	46	67.65
(ख) कर-भिन्न राजस्व	14,939	13,229	(-) 1,710	(-) 11.45
ब्याज प्राप्तियाँ	2,047	2,065	18	0.88
विविध सामान्य सेवाएँ	892	964	72	8.07
जलापूर्ति तथा सफाई	312	276	(-) 36	(-) 11.54
पेट्रोलियम	6,575	4,850	(-) 1,725	(-) 26.23
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,860	3,636	(-) 224	(-) 5.80
पुलिस	220	240	20	9.09
श्रम एवं रोजगार	212	290	78	36.79
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	71	117	46	64.79
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	139	133	(-) 6	(-) 4.32
वानिकी एवं वन्य जीव	88	89	1	1.14
मुख्य सिंचाई लोक निर्माण	100	55	(-) 45	(-) 45.00
लोक निर्माण कार्य	75	72	(-) 3	(-) 4.00
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	75	81	6	8.00
लाभांश तथा लाभ	40	63	23	57.50
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	37	78	41	110.81
अन्य कर-भिन्न राजस्व	196	220	24	12.25
(ग) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	22,756	19,817	(-) 2,939	(-) 12.92
(घ) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	27,775	19,608	(-) 8,167	(-) 29.40
(2) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	8	15	7	87.50
(3) कर्जें तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	151	1,004	853	564.90
(4) कुल प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,06,284	92,346	(-) 13,938	(-) 13.11
(5) राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ)	1,05,387	94,542	(-) 10,845	(-) 10.29
(क) सामान्य सेवाएँ	26,888	27,868	980	3.64
न्याय प्रशासन	643	617	(-) 26	(-) 4.04
निर्वाचन	210	209	(-) 1	(-) 0.48
भू-राजस्व	611	557	(-) 54	(-) 8.84
राज्य उत्पाद शुल्क	123	110	(-) 13	(-) 10.57
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	487	594	107	21.97
ब्याज अदायगियाँ	10,470	10,463	(-) 7	(-) 0.07
सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	162	150	(-) 12	(-) 7.41
जिला प्रशासन	384	348	(-) 36	(-) 9.38

	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)	वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)
1	2	3	4 (3-2)	5
कोष तथा लेखा प्रशासन	195	187	(-) 8	(-) 4.10
पुलिस	3,472	3,682	210	6.05
जेल	124	142	18	14.52
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	195	205	10	5.13
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,038	9,629	591	6.54
विविध सामान्य सेवाएँ	427	617	190	44.50
अन्य	347	358	11	3.17
(ख) सामाजिक सेवाएँ	43,617	37,754	(-) 5,863	(-) 13.44
सामान्य शिक्षा	22,376	19,077	(-) 3,299	(-) 14.74
तकनीकी शिक्षा	154	141	(-) 13	(-) 8.44
खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	112	77	(-) 35	(-) 31.25
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4,650	3,954	(-) 696	(-) 14.97
परिवार कल्याण	2,979	2,019	(-) 960	(-) 32.23
जलापूर्ति तथा सफाई	2,028	2,071	43	2.12
शहरी विकास	3,243	2,546	(-) 697	(-) 21.49
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,164	965	(-) 199	(-) 17.10
श्रम तथा रोजगार	386	452	66	17.10
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3,815	4,064	249	6.53
पोषण	1,680	1,420	(-) 260	(-) 15.48
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	744	741	(-) 3	(-) 0.40
अन्य	286	227	(-) 61	(-) 21.32
(ग) आर्थिक सेवाएँ	34,801	28,920	(-) 5,881	(-) 16.90
फसल कृषि-फर्म	2,397	1,833	(-) 564	(-) 23.53
पशुपालन	743	576	(-) 167	(-) 22.48
वानकी एवं वन्य जीव	827	711	(-) 116	(-) 14.03
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	176	162	(-) 14	(-) 7.95
सहकारिता	420	612	192	45.71
ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	703	421	(-) 282	(-) 40.11
ग्रामीण रोजगार	5,710	3,858	(-) 1,852	(-) 32.43
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7,035	6,126	(-) 909	(-) 12.92
वृहद् सिंचाई	1,299	1,268	(-) 31	(-) 2.39
मध्यम सिंचाई	276	256	(-) 20	(-) 7.25
लघु सिंचाई	210	177	(-) 33	(-) 15.71
विद्युत	10,308	9,114	(-) 1,194	(-) 11.58
नवीन और नवीनीकरण उर्जा	128	3	(-) 125	(-) 97.66
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	112	97	(-) 15	(-) 13.39
सड़कें तथा पुल	1,611	1,548	(-) 63	(-) 3.91
सड़क परिवहन	307	296	(-) 11	(-) 3.58
सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	155	138	(-) 17	(-) 10.97
जनगणना सर्वे तथा सांख्यिकी	1,069	491	(-) 578	(-) 57.07
नागरिक आपूर्ति	797	833	36	4.52
अन्य	518	400	(-) 118	(-) 22.78

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)	वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)
1	2	3	4 (3-2)	5
(घ) सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	81	-⁶	(-) 81	(-) 100.00
(6) पूँजीगत व्यय	20,565	16,103	(-) 4,462	(-) 21.70
पुलिस पर पूँजीगत व्यय	132	104	(-) 28	(-) 21.21
लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत व्यय	632	431	(-) 201	(-) 31.80
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय	144	56	(-) 88	(-) 61.11
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत व्यय	1,074	484	(-) 590	(-) 54.93
जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत व्यय	4,643	4,494	(-) 149	(-) 3.21
शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय	1,198	520	(-) 678	(-) 56.59
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	379	194	(-) 185	(-) 48.81
पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	279	(-) 9	(-) 288	(-) 103.23
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	104	34	(-) 70	(-) 67.31
फसल कृषि-फर्म पर पूँजीगत परिव्यय	395	299	(-) 96	(-) 24.30
वानिकी एवं वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	331	217	(-) 114	(-) 34.34
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	457	456	(-) 1	(-) 0.22
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	312	262	(-) 50	(-) 16.03
वृहद् सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	867	663	(-) 204	(-) 23.53
मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	106	92	(-) 14	(-) 13.21
लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	457	436	(-) 21	(-) 4.60
सिंचित क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	135	78	(-) 57	(-) 42.22
विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4,418	4,249	(-) 169	(-) 3.83
पेट्रोलियम पर पूँजीगत परिव्यय	102	(-) 5	(-) 107	(-) 104.90
सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,675	2,706	(-) 969	(-) 26.37
सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	380	80	(-) 300	(-) 78.95
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय	76	167	91	119.74
अन्य पूँजीगत परिव्यय	269	95	(-) 174	(-) 64.68
(7) कर्जे तथा अग्रिमों का वितरण	518	701	183	35.33
(8) कुल व्यय (5+6+7)	1,26,470	1,11,346	(-) 15,124	(-) 11.96
(9) राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-5)	738	(-) 3,215		
(10) राजकोषीय घाटा (-) (4-8)	(-) 20,186	(-) 19,000		
(11) प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा (-) (10+ ब्याज भुगतान)	(-) 9,716	(-) 8,537		

स्रोत: वित्त लेखे तथा बजट प्रलेख

⁶ मात्र ₹ 0.09 करोड़

परिशिष्ट 1.7 भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के सीधे अन्तरण का विवरण पत्र (संदर्भ अनुच्छेद 1.4.4; पृष्ठ 21)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्र: राज्य का हिस्सा दर्शाता है)	राज्य के कार्यकारी अभिकरण/विभाग	2013-14	2014-15
कृषि तकनीकी प्रबन्धन अभिकरण परियोजना (90:10)	राजकीय कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	30.02	-
सूक्ष्म सिंचाई योजना पर राष्ट्रीय मिशन (80:20)	राजस्थान उद्यान विकास समिति	80.00	-
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (85:15)	राजस्थान उद्यान विकास समिति	62.55	0.45
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100 प्रतिशत)	राजकीय कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	126.35	0.21
राष्ट्रीय बांस मिशन (100 प्रतिशत)	राजस्थान उद्यान विकास समिति	1.23	-
राष्ट्रीय औषधिय पौधे मिशन (100 प्रतिशत)	राजस्थान राज्य औषधिय पौधे बोर्ड	7.07	3.33
कृषि सम्बन्धी आर्थिक नीति तथा विकास में अध्ययन	महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	4.75	-
गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु सुविधाओं का सुदृढीकरण तथा विकास	उपलब्ध नहीं	14.57	-
डेयरी विकास परियोजना	उपलब्ध नहीं	5.26	-
कृषिय गणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	उपलब्ध नहीं	-	3.93
कृषिय विपणन पर एकीकृत योजना	उपलब्ध नहीं	-	5.19
कृषिय विस्तार एवं तकनीकी सीएस पर राष्ट्रीय मिशन	उपलब्ध नहीं	-	7.82
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	85.82	-
इन्दिरा आवास योजना (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	468.87	-
जिला ग्रामीण विकास संस्थान प्रशासन (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	22.37	-
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	2,059.43	-
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सीएस	उपलब्ध नहीं	-	4.21
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (100 प्रतिशत)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	167.50	138.00
समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम (90:10)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) तथा राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण, जयपुर	4.71	-
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (100 प्रतिशत)	राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास संस्थान	427.06	-
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जयपुर	1,248.13	-

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्र: राज्य का हिस्सा दर्शाता है)	राज्य के कार्यकारी अभिकरण/विभाग	2013-14	2014-15
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	17.46	-
सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	2,424.89	-
प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास	उपलब्ध नहीं	45.60	2.40
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (75:25)	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	267.14	-
मॉडल स्कूल	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	10.26	-
तकनीकी शिक्षा एवं गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	3.00	4.61
विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक विज्ञान एवं मानवीय विज्ञान के सिवान क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिये केन्द्रों का सृजन	उपलब्ध नहीं	-	1.50
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (85:15)	परियोजना निदेशक, एनआरएचएम	630.56	-
राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य एडस नियंत्रण समिति	21.68	-
चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिये संस्थानों का सुदृढीकरण	उपलब्ध नहीं	4.18	-
स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान (आयुर्वेद) (100 प्रतिशत)	आयुर्वेद राष्ट्रीय संस्थान	29.00	17.80
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	उपलब्ध नहीं	52.75	82.00
निरीक्षण कमेटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	उपलब्ध नहीं	8.00	-
स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत का विकास	उपलब्ध नहीं	2.50	-
अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्बन्ध	उपलब्ध नहीं	-	2.92
संग्रहालय	पुरातत्व तथा संग्रहालय	1.13	1.50
कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा बढ़ावा	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	5.82	17.65
पुलिस आधुनिकीकरण योजना	आरएसआरडीसीसी	58.06	-
अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए लड़कों तथा लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण	उपलब्ध नहीं	-	2.26
निःशक्त जन के लिए क्रय/फोर्टिंग हेतु सहायता	उपलब्ध नहीं	8.41	4.48
दीनदयाल पुर्नवास केन्द्र	उपलब्ध नहीं	1.52	1.02
सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	उपलब्ध नहीं	1.47	0.84
अवैध व्यापार का सामना करने के लिये समग्र योजना	उपलब्ध नहीं	0.60	1.25
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु एनजीओ को सहायतार्थ अनुदान	उपलब्ध नहीं	1.27	2.24
राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम	राज्य वन विकास अभिकरण	2.81	-
पर्यावरण सूचना, शिक्षा तथा जानकारी	उपलब्ध नहीं	2.60	2.32
विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	1.21	2.26
नीति अनुसंधान प्रकोष्ठ	उपलब्ध नहीं	1.11	-
जैव तकनीक का अनुसंधान एवं विकास विभाग	उपलब्ध नहीं	1.60	4.35
अनुसंधान एवं विकास सहयोग एसईआरसी	उपलब्ध नहीं	1.34	11.80

कार्यक्रम/योजना (केन्द्र: राज्य का हिस्सा दर्शाता है)	राज्य के कार्यकारी अभिकरण/विभाग	2013-14	2014-15
राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	1.70	0.72
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	2.01	3.14
जन शक्ति विकास	उपलब्ध नहीं	0.14	26.66
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	0.89	2.35
लघु सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक एवं नैनो तकनीक विकास	उपलब्ध नहीं	0.30	1.08
प्रौद्योगिकी विकास परिषद	उपलब्ध नहीं	0.20	2.27
समेकित ऊन सुधार एवं विकास कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	14.50	18.50
समेकित टेक्सटाइल पार्क के लिये योजना (एसआईटीपी)	उपलब्ध नहीं	8.61	-
तकनीक क्रमोन्नत कोष योजना (टीयूएफएस)	उपलब्ध नहीं	1.17	1.45
प्रौद्योगिकी गुणवत्ता की सहायक संस्थान तथा कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	10.89	8.59
हस्तशिल्प आधारभूत एवं तकनीकी विकास योजना	उपलब्ध नहीं	1.16	3.20
विपणन सहयोग एवं सेवाएँ तथा निर्यात संवर्द्धन योजना	उपलब्ध नहीं	1.37	0.52
ऊन तथा ऊनी सामाजिक सुरक्षा योजना	उपलब्ध नहीं	1.00	1.00
ढाँचागत विकास तथा क्षमता अभिवर्द्धन	उपलब्ध नहीं	1.77	1.38
मानव संसाधन विकास	उपलब्ध नहीं	-	1.89
आई एच एम एस, एफसी आई आदि को सहायता	उपलब्ध नहीं	3.69	0.70
सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु कैपेसिटी भवन	उपलब्ध नहीं	2.42	2.17
अक्षय ऊर्जा	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	26.66	113.30
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण	उपलब्ध नहीं	5.69	11.71
राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना	बाल मजदूर परियोजना संस्थान	4.81	2.68
असंगठित कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा	उपलब्ध नहीं	10.72	-
निश्चित गुणवत्ता, कोड, स्टेण्डर्ड, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन योजनाएं	उपलब्ध नहीं	1.58	0.39
कम साक्षर जिले में अनुमूचित जन जाति की लड़कियों हेतु शिक्षा का सुदृढीकरण	उपलब्ध नहीं	1.10	0.96
शहरी खेलकूद आधारभूत योजनाएं	उपलब्ध नहीं	1.80	-
प्री फार्मा के लिये अर्हता प्राप्त करने वालों के लिये सघन सहायता	उपलब्ध नहीं	-	6.84
इलेक्ट्रॉनिक शासन	उपलब्ध नहीं	28.81	-
क्षमता अभिवर्द्धन तथा तकनीकी सहायता	उपलब्ध नहीं	0.45	1.26
आधारभूत विकास एफपीआई के लिए योजना	उपलब्ध नहीं	-	2.03
कौशल विकास प्रोत्साहन	उपलब्ध नहीं	0.86	1.41
राजीव गांधी खेल अभियान	उपलब्ध नहीं	-	2.68
एक करोड़ से कम की योजनाएं		15.66	16.24
योग		8,571.62	561.46

स्रोत: वित्त लेखे, सीजीए पोर्टल वेबसाइट

परिशिष्ट 1.8 वर्ष 2014-15 के दौरान वृहद एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 47)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	31 मार्च 2015 तक पूंजीगत परिव्यय	राजस्व प्राप्ति	कार्य एवं रखरखाव व्यय	कार्य एवं रखरखाव व्यय के पश्चात् शुद्ध हानि	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	ब्याज भुगतान पश्चात् शुद्ध हानि
1	2	3	4	5	5-4=6	7	6+7=8
वृहद सिंचाई परियोजनाएँ							
1	भांखरा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा विभाग)	3,955.63	831.29	3,588.90	2,757.61	372.30	3,129.91
2	चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा विभाग)	54,223.75	1,661.84	2,257.33	595.49	3,876.40	4,471.89
3	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	4,60,033.64	1,698.51	13,214.46	11,515.95	44,695.09	56,211.04
4	गुडगांव नहर	4,657.62	9.87	178.31	168.44	429.06	597.50
5	जाखम परियोजना	12,711.44	18.05	277.73	259.68	1,201.31	1,460.99
6	गंग नहर	55,203.48	429.26	2,168.82	1,739.56	5,269.01	7,008.57
मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ							
7	जवाई नदी परियोजना सेई डार्डवर्जन स्कीम	709.57	77.79	111.71	33.92	69.74	103.66
8	मेजा परियोजना	4,512.72	3.78	206.52	202.74	440.18	642.92
9	पार्वती परियोजना (शौलपुर)	7,000.52	2.85	316.59	313.74	670.52	984.26
10	गुढा परियोजना	163.49	21.52	85.72	64.20	16.33	80.53
11	मोरेल परियोजना	235.83	0.29	87.56	87.27	23.55	110.82
12	अलनिया परियोजना	195.97	3.20	147.60	144.40	19.51	163.91
13	पश्चिमी बनास परियोजना	67.03	0.10	14.46	14.36	6.70	21.06
14	बल्लभनगर परियोजना	86.37	-	26.30	26.30	8.64	34.94
15	बढ़गांव पाल परियोजना	76.02	0.74	81.31	80.57	7.60	88.17
16	औरई सिंचाई परियोजना	63.42	0.17	37.39	37.22	6.34	43.56
17	वैगन डार्डवर्जन स्कीम	1,397.26	0.82	79.14	78.32	139.66	217.98
	योग	6,05,293.76	4,760.08	22,879.85	18,119.77	57,251.94	75,371.71

स्रोत: वित्त लेखे

**परिशिष्ट 1.9 विभाग द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारीकृत वित्तीय विवरण-पत्र
(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.4; पृष्ठ 52)**

(₹ लाख में)

उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	औसत सरकारी पूंजी	मूल्य ह्रासित लागत पर ब्लाक परिसम्पत्तियाँ	वर्ष के दौरान प्रावधित मूल्य ह्रास	टर्न ओवर	निवल लाभ (+)/हानि (-)	पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिलाभ (7+8)	पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जेल विनिर्माण, अजमेर	2013-14	3.07	1.24	0.14	9.75	(-) 3.86	1.92	(-) 1.94	(-) 9.12
जेल विनिर्माण, अलवर	2012-13	0.16	0.10	-	2.37	(-) 5.12	-	(-) 5.12	(+) 16.14
जेल विनिर्माण, बीकानेर	2013-14	8.88	4.25	-	6.24	(-) 7.78	0.62	(-) 7.16	(-) 104.81
जेल विनिर्माण, जयपुर	2013-14	7.56	4.24	0.45	46.58	(-) 16.55	-	(-) 16.55	(-) 10.00
जेल विनिर्माण, जोधपुर	2013-14	8.86	2.52	0.20	9.51	(-) 12.37	2.75	(-) 9.62	(-) 31.50
जेल विनिर्माण, कोटा	2012-13	1.49	1.37	0.05	0.05	(-) 1.74	-	(-) 1.74	-
जेल विनिर्माण, उदयपुर	2013-14	9.97	2.37	0.25	13.54	(-) 14.91	4.85	(-) 10.06	(-) 18.66
वन कूपस का विभागीय व्यापार	2013-14	183.06	248.87	-	2,696.24	(+) 1,540.09	-	1,540.09	-
पत्ता तेन्दू योजना	2013-14	5,508.41	6.37	0.26	966.87	(+) 698.34	-	(+) 698.34	-
राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल, जयपुर	2013-14	13,86,595.95	2,79,981.00	10,306.61	20,548.23	(-) 1,15,406.71	20,467.14	(-)94,939.57	(-)38.08
योग		13,92,327.41	2,80,252.33	10,307.96	24,299.38	(-) 1,13,230.61	20,477.28	(-) 92,753.33	

⁷ वह पूंजी काम में ली गई है, जिस पर ब्याज की गणना की गयी है।

**परिशिष्ट 1.10 संस्थाओं/संगठनों द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला
विवरण-पत्र (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.5; पृष्ठ 53)**

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	संस्था/संगठन का नाम	1.4.2003 को प्रारम्भिक शेष	2003-15 के दौरान अग्रिम	2003-15 के दौरान पुनर्भुगतान	31.03.2015 को अन्तिम शेष
1	6215-01-192 (01)	नगरपालिकाओं को सीधे उधार	306.70	-	-	306.70
2	6215-01-192 (02)	नगरपालिकाओं को उधार-जीवन बीमा निगम से गारन्टेड उधार	3,459.99	-	-	3,459.99
3	6215-02-192	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार	2.53	-	-	2.53
4	6216-80-800 (01)	औद्योगिक आवास योजना	2.26	-	-	2.26
5	6235-02-800 (01)	बलवों से प्रभावित व्यक्तियों को उधार	6.34	-	-	6.34
6	6235-60-800 (02)[01]	जागीरदारों का पुनर्वास	1.51	-	-	1.51
7	6235-60-800 (02)[03]	बर्मा से लौटे विस्थापितों को उधार	3.06	-	-	3.06
8	6235-60-800 (02)[04]	बेरोजगार स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम	49.79	-	-	49.79
9	6245-01-800 (04)	पशुपालन विभाग के अभिकरण के माध्यम से चारा आदि के लिये गौ सेवा संघ को उधार	11.82	-	-	11.82
10	6250-60-800 (02)	राजस्थान चिकित्सा-स्नातकों की निजी रोजगार प्रोत्साहन समिति को उधार	0.17	-	-	0.17
11	6250-60-800 (05)	वन श्रम सहकारी समितियों को उधार-मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से	0.42	-	-	0.42
12	6401-103 (02)	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	1,587.53	143.22	-	1,730.75
13	6401-103 (03)	राजस्थान राज्य बीज निगम को उधार	64.38	-	0.02	64.36
14	6403-102 (02)	गहन पशु विकास योजना	4.08	-	(-) 3.60	7.68
15	6403-103	कुक्कुट विकास	0.01	-	-	0.01
16	6403-104 (01)	भेड़ पालकों को उधार	0.02	-	-	0.02
17	6404-190(01)	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को उधार	309.71	-	-	309.71
18	6404-190(02)	रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम-डेयरी इकाइयों की स्थापना	0.18	-	-	0.18
19	6405-800(01)	निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से मत्स्य पालक विकास एजेन्सी को उधार	0.33	-	-	0.33
20	6408-02-800 (04)	यातायात वाहन क्रय हेतु उधार	0.62	-	(-) 0.13	0.75
21	6425-107 (06)	राजस्थान राज्य सहकारी नवीनीकरण कोष की स्थापना हेतु ब्याज ऋण देने हेतु उधार	315.00	75.00	-	390.00
22	6425-107(07)	राजस्थान राज्य सहकारी प्रवर्तन कोष की स्थापना हेतु उधार	161.18	-	-	161.18
23	6705-800(01)	भू-संरक्षण	9.47	-	-	9.47
24	6705-800(02)	विश्व खाद्य कार्यक्रम संख्या 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को उधार	1.00	-	-	1.00
25	6860-01-800 (01)	मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड को उधार	503.49	38.67	(-) 50.53	592.69
26	7075-01-800 (01)	सामरिक सड़कों के टेकेदारों को उधार	0.82	-	-	0.82
27	7475-103(01)	उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	0.98	-	(-) 1.02	2.00
28	7475-103(05)	विश्वविद्यालय एवं कॉलेज उपभोक्ता भण्डारों को उधार	0.07	-	-	0.07
महायोग			6,803.46	256.89	(-) 55.26	7,115.61

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.11 भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का ब्यौरा
(संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5.1; पृष्ठ 35)

क.सं.	विषय	पंरासं को हस्तांतरण की स्थिति		
		निधियाँ	कार्य	कार्मिक
1	कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार है	हाँ	हाँ	हाँ
2	भूमि सुधार, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और मृदा संरक्षण	हाँ	हाँ	हाँ
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण का विकास	हाँ	हाँ	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन	नहीं	नहीं	नहीं
5	मत्स्य पालन	हाँ	हाँ	हाँ
6	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	हाँ	हाँ	हाँ
7	लघु वन उपज	हाँ	हाँ	हाँ
8	लघु उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है सहित	नहीं	हाँ	नहीं
9	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
10	ग्रामीण आवासन	हाँ	हाँ	हाँ
11	पेयजल	हाँ *	हाँ *	हाँ *
12	ईंधन और चारा	हाँ *	हाँ *	हाँ *
13	सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	हाँ *	हाँ *	हाँ *
14	ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण है	नहीं	हाँ	नहीं
15	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	नहीं	हाँ	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	हाँ
17	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है	हाँ	हाँ	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
20	पुस्तकालय	नहीं	हाँ	नहीं
21	सांस्कृतिक कार्यक्रम	नहीं	हाँ	नहीं
22	बाजार और मेले	हाँ	हाँ	हाँ
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र और औषधालय भी है	हाँ	हाँ	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
25	महिला एवं बाल विकास	हाँ	हाँ	हाँ
26	समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है	हाँ	हाँ	हाँ
27	दुर्बल वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	हाँ *	हाँ *	हाँ *
29	सामुदायिक संपत्तियों का अनुरक्षण	हाँ *	हाँ *	हाँ *

स्रोत: पंरावि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं
* हस्तांतरित लेकिन अस्थायी रूप से वापस लिए

(पंचायती राज विभाग द्वारा 07.08.2015 को दी गई सूचना एवं अनुच्छेद के आधार पर जिसके अनुसार यह 18.05.2012 की स्थिति के अनुरूप है)

परिशिष्ट 1.12 भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5.2; पृष्ठ 37)

अ. शहरी स्थानीय निकायों को पूर्ण हस्तांतरण को	
1.	भू-उपयोग और भवन निर्माण का नियमन
2.	गन्दी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
3.	शहरी गरीबी उन्मूलन
4.	कब्र एवं कब्रिस्तान इत्यादि
5.	जन्म - मृत्यु के पंजीयन सहित महत्वपूर्ण आँकड़ें
6.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थान इत्यादि सहित जन सुविधाएं
7.	पशुवध गृहों का नियमन
8.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजना
9.	सड़कें एवं पुल
10.	जन स्वास्थ्य एवं ठोस कचरा प्रबन्धन
11.	अग्निशामन सेवाएं
12.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण पहलुओं का विकास/उन्नयन
13.	शहरी सुख सुविधाओं यथा पार्को, उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का प्रावधान
14.	विकलांगों एवं मानसिक विमन्दित लोगों सहित समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करना
15.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यपरक पहलुओं का विकास
16.	पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम
ब. कार्य जो शहरी स्थानीय निकायों को अभी हस्तांतरित किए जाने हैं	
1.	कस्बों के नियोजन सहित नगर नियोजन
2.	घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.4: पृष्ठ 84)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत	अनुदान के अन्तर्गत प्रावधान के समक्ष समग्र बचत/आधिक्य
राजस्व-दत्तमत								
1	20	आवास	2216-आवास 05-साधारण पूल आवास 053-रख रखाव तथा मरम्मत 01-सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय) 11-मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य सम्बन्धी आनुपातिक व्यय	- ⁸	2.61	2.61	100.0	बचत
2	21	सड़कें एवं पुल	3054-सड़क तथा सेतु 80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन 01-मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत आनुपातिक व्यय 01-स्थापना	-	38.07	38.07	100.0	बचत
3			3054-सड़क तथा सेतु 80-सामान्य 797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण 03-केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100% केन्द्र)	246.56	286.44	39.88	16.2	बचत
4	46	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 02-चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 03-अन्य व्यय	30.56	38.76	8.20	26.8	बचत

⁸ मात्र ₹ 1000

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत	अनुदान के अन्तर्गत प्रावधान के समक्ष समग्र बचत/आधिक्य
5	46	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 28-बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-बजट शीर्ष '2701-80' से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	0.25	1.56	1.31	524.0	बचत
6			2701-मध्यम सिंचाई 80-सामान्य 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता 01-जिला परिषदों को अनुदान 01-स्थापना व्यय	2.95	4.40	1.45	49.2	बचत
7			2702-लघु सिंचाई 01-सतही जल 800-अन्य व्यय 01-अन्य सिंचाई निर्माण कार्य 02-मद '2701-80' से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	8.73	10.73	2.00	22.9	बचत
8	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2402-मृदा तथा जल संरक्षण 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना 02-पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई.एफ.ए.डी. फण्डेड) (एम पावर)	2.87	4.35	1.48	51.6	बचत
पूँजीगत-दत्तमत								
9	19	लोक निर्माण कार्य	4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 051-निर्माण 02-सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-सामान्य प्रशासनिक भवन) 01-मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	12.61	19.74	7.13	56.5	बचत
10	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01-जलपूर्ति	-	3.54	3.54	100.0	बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत	अनुदान के अन्तर्गत प्रावधान के समक्ष समग्र बचत/आधिक्य
			796-जनजाति क्षेत्र उपयोगना 02-शहरी जलपूर्ति योजनाएं 15-नागौर लिफ्ट कैनल परियोजना फेज-11					
पूँजीगत प्रभारित								
11	-	लोक ऋण	6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 106-प्रतिकर तथा अन्य बन्ध- पत्र 02-विशेष बॉण्ड (पावर बॉण्डस) 18-8.50% कर मुक्त राजस्थान सरकार विशेष बॉण्डस, 2015	-	18.44	18.44	100.0	आधिक्य

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.5: पृष्ठ 84)

व्यय की अधिकता (जहाँ अंतिम त्रैमास में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2015 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
1.	7-निर्वाचन	2515-800-01 पंचायत चुनावों पर व्यय	122.57	35.17	123.29	99.4	28.5
2.	9-वन	4406-01-102-14 नाबार्ड के सहयोग से वानिकी कार्य	60.31	24.58	82.40	73.2	29.8
3.	10-विविध सामान्य सेवाएँ	2075-797-01 मद '8235-117 गारंटी उन्मोचन निधि' को अन्तरण	615.83	615.83	615.83	100	100
4.	14-बिक्री कर	2040-800-02 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति	147.34	80.89	446.04	33.0	18.1
5.	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-117-01 निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	111.75	61.67	356.12	31.4	17.3
6.	16-पुलिस	2055-115-04 सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण	50.27	49.18	51.32	98.0	95.8
7.	21-सड़कें एवं पुल	3054-04-800-02 ग्रामीण सड़कें	213.53	77.30	559.96	38.1	13.8
8.		5054-04-800-02 अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम	137.81	67.44	358.36	38.5	18.8
9.	23-श्रम तथा रोजगार	2230-01-103-07 भवन एवं अन्य निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड, राजस्थान	76.95	76.95	251.95	30.5	30.5
10.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-001-01 सामान्य व्यय	64.96	59.17	88.89	73.1	66.6
11.		2202-01-111-01 शिक्षा गारंटी योजना	1,009.14	325.09	2,522.80	40.0	12.9
12.		2202-01-800-14 शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण-सामान्य व्यय	61.53	46.03	83.91	73.3	54.9
13.		2202-02-109-07-01 माध्यमिक शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय	288.04	123.93	282.31	102.0	43.9
14.	25-कोषागार व लेखा प्रशासन	7999-201 आकस्मिकता निधि को विनियोजन	300.00	300.00	300.00	100.0	100.0

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2015 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
15.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	4210-01-110-07 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य	69.54	69.49	119.33	58.3	58.2
16.		4210-02-800-02 नार्बार्ड ऋण आधारित योजनाएँ	62.63	62.63	62.63	100	100
17.	27-पेय जल योजना	2515-01-101-01-12 अन्य शहरी जलपूर्ति योजनाएँ	132.37	63.35	433.53	30.5	14.6
18.		4215-01-101-01 सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएँ	273.92	186.31	672.12	40.8	27.7
19.		4215-01-102-01 अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना	111.10	66.75	301.88	36.8	22.1
20.		4215-01-102-03 अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	370.69	316.28	732.54	50.6	43.2
21.		4215-01-102-39 पोकरण-फलसूण्ड जलपूर्ति योजना	64.90	62.36	94.00	69.1	66.4
22.		4215-01-102-49 तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्माण कार्य	61.82	47.16	129.84	47.6	36.3
23.		4215-01-102-80 कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत सीकर, झंझनू, खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना	50.54	50.54	85.93	58.8	58.8
24.		28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	4515-101-11 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	105.60	30.71	274.80	38.4
25.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-191-03 विशेष अनुदान	180.47	75.50	576.33	31.3	13.1
26.		4217-04-800-04 स्लम मुक्त भारत के लिए राजीव आवास योजना	77.06	57.88	119.23	64.6	48.6
27.		4217-60-050-03 राजस्थान अरबन सैक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर.यू.एस.डी. आई.पी.) आर.यू.आई.डी. पी. द्वितीय चरण (ई.ए.पी) निर्माण कार्य	70.00	37.99	184.05	38.0	20.6
28.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-01-111-03 जन जाति क्षेत्र के लिए उपयोजना (शिक्षा गारंटी योजना)	194.06	50.00	538.63	36.0	9.3
29.		2202-02-109-07-03 माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जन जातियों के लिए	53.45	20.05	59.17	90.3	33.8

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2015 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
30.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2225-02-796-06 समाज कल्याण विभाग के माध्यम से	65.49	38.98	179.44	36.5	21.7
31.		2505-01-196-01 इन्दिरा आवास योजना	163.19	102.98	342.03	47.7	30.1
32.		4215-01-796-01 ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएँ	228.38	168.21	449.60	50.8	37.4
33.		4225-02-796-11 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएँ (वि.के.स.)	61.48	41.91	61.48	100	68.2
34.		4801-80-796-04 जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	104.68	99.36	140.55	74.5	70.7
35.		4801-80-796-05 जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	108.71	105.57	130.70	83.2	80.8
36.		4801-80-796-06 अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	118.81	107.47	133.44	89.0	80.5
37.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-03-277-02 छात्रावासों का संधारण	63.78	52.05	64.23	99.3	81.0
38.		2236-02-197-01 समेकित बाल विकास विभाग के माध्यम से	154.45	75.71	500.77	30.8	15.1
39.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-104-06 पशु शिविर/गौशाला	86.76	56.07	146.57	59.2	38.3
40.		2245-01-800-01 राहत कार्यों पर व्यय	223.37	217.32	617.22	36.2	35.2
41.		2245-02-114-02 लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान	187.83	188.22	420.72	44.6	44.7
42.		2245-02-114-05 लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान (बाढ़, चक्रवात आदि)	141.14	141.31	324.68	43.5	43.5
43.		2245-05-101 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि	365.31	365.31	730.10	50.0	50.0
44.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	3454-02-203-02 भामाशाह योजना, 2014	231.93	153.66	289.38	80.2	53.1
45.		5475-800-08 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	72.04	57.81	89.41	80.6	64.7

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2015 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
46.	36-सहकारिता	2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	168.68	168.67	260.04	64.9	64.9
47.	37-कृषि	2401-110-02 कृषि विभाग के अभिकरण से	198.12	51.13	244.13	81.2	20.9
48.		2401-119-26 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (20% राज्यांश: 80% केन्द्रांश)	57.74	43.41	61.99	93.2	70.0
49.		2401-196-06 ज़िला स्तरीय कृषि योजनाएँ	114.05	94.91	134.53	84.8	70.5
50.		2401-800-27 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)	280.60	165.80	445.05	63.1	37.2
51.		4401-800-02 कृषि विभाग के अभिकरण से	56.26	51.38	152.54	36.9	33.7
52.		6408-02-190-01-01 राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को उधार	55.00	30.00	90.00	61.1	33.3
53.	41-सामुदायिक विकास	2515-196-24-02 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में कार्यकलाप/गतिविधियाँ	68.61	40.86	118.16	58.1	34.6
54.		2515-197-01-01 तदर्थ सहायतान्तर्गत संस्थापन	225.32	107.32	504.86	44.6	21.3
55.		2515-197-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों को अनुदान	81.35	12.80	170.96	47.6	7.5
56.		2515-198-06 मिड डे मील योजनान्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम	141.79	37.99	368.25	38.5	10.3
57.		2515-198-16 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान	303.67	303.67	559.65	54.3	54.3
58.	46-सिंचाई	4700-04-001-02 द्वितीय चरण	81.93	46.58	167.79	48.8	27.7
59.	48-विद्युत्	2801-80-190-34 विद्युत् कर हेतु अनुदान	600.41	294.17	1,175.00	51.1	25.0
60.		4801-80-190-02 राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश	186.84	186.84	586.20	31.8	31.8

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2015 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
61.	48-विद्युत्	4801-80-190-03 राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश	78.25	78.25	246.05	31.8	31.8
62.		4801-80-190-04 जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	501.92	474.92	692.33	72.5	68.6
63.		4801-80-190-05 जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	527.09	510.42	643.82	81.9	79.3
64.		4801-80-190-06 अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	579.68	517.55	657.33	88.2	78.7
65.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-02-107-05 अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	53.22	24.34	62.15	85.6	39.2
66.		2202-02-109-07-02 अनुसूचित जातियों के लिए माध्यमिक शिक्षा अभियान	72.01	26.51	72.01	100	36.8
67.		2225-01-789-01 अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा	51.57	32.08	145.70	35.4	22.0
68.		2401-789-03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)	64.75	54.52	103.32	62.8	52.8
69.		4215-01-789-01 अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलापूर्ति	224.48	136.59	592.76	37.9	23.0
70.		4801-80-789-02 राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश	71.36	71.36	176.30	40.5	40.5
71.		4801-80-789-04 जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	158.56	151.47	208.22	76.2	72.7
72.		4801-80-789-05 जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	163.18	158.83	193.63	84.3	82.0
73.		4801-80-789-06 अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	177.43	161.88	197.69	89.7	81.9
74.		ब्याज अदायगियाँ	2049-01-200-02 स्थानीय निकायों से लिए गए उधारों पर ब्याज	136.34	135.79	440.81	30.9
75.	2049-03-104-02 अंशदायी प्रावधायी निधियों पर ब्याज		67.47	67.47	67.63	99.8	99.8
76.	ब्याज अदायगियाँ	2049-04-101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनान्तर्गत योजनाओं के उधारों पर ब्याज	94.24	27.46	233.67	40.3	11.7

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2015 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
77.	लोक ऋण	6003-105-02 ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत उधार	493.65	326.50	816.02	60.5	40.0
78.		6003-111-01 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	332.28	153.95	1,243.71	26.7	12.4
79.		6004-02-105 बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में समेकित राज्य आयोजना कर्ज	92.61	30.87	308.70	30.0	10.0
योग			14,075.99	9,888.46	27,268.51	51.6	36.3

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान ।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.6: पृष्ठ 90)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व-दत्तमत					
1.	11	विविध सामाजिक सेवाएँ	113.73	42.47	37.3
2.	18	जन-सम्पर्क	77.94	28.34	36.4
3.	28	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	594.70	284.40	47.8
4.	35	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	847.72	449.52	53.0
5.	37	कृषि	1,956.80	409.89	20.9
6.	43	खनिज	196.98	94.51	48.0
7.	49	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	80.53	80.45	99.9
8.	50	ग्रामीण रोजगार	3,611.45	1,221.60	33.8
9.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	6,164.27	1,654.42	26.8
पूँजीगत-दत्तमत					
10.	9	वन	223.41	88.49	39.6
11.	12	अन्य कर	374.78	300.00	80.0
12.	19	लोक निर्माण कार्य	1,397.65	688.04	49.2
13.	21	सड़कें एवं पुल	3,281.25	881.43	26.9
14.	22	क्षेत्र का विकास	348.13	90.45	26.0
15.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	53.67	28.47	53.1
16.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	346.25	122.97	35.5
17.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,280.91	573.42	44.8
18.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,732.48	615.85	22.5
19.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	301.82	255.98	84.8
20.	37	कृषि	429.96	120.30	28.0
21.	42	उद्योग	20.22	101.86	503.8
22.	43	खनिज	103.56	108.21	104.5
		योग	24,538.21	8,241.07	33.6

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7: पृष्ठ 90)

विभिन्न अनुदानों का विवरण-पत्र जहाँ वर्ष 2012-15 के दौरान निरन्तर बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक थी।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
राजस्व-दत्तमत							
1.	9-वन	2012-13	632.89	478.66	154.23	24.4	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	749.21	560.92	188.29	25.1	पदों का रिक्त रहना तथा पौधारोपण कार्य हेतु निविदाएँ नहीं होना। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	747.86	630.62	117.24	15.7	पदों का रिक्त रहना, गांव से विस्थापन हेतु ग्रामीणों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना की द्वितीय किशत प्राप्त नहीं होना तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान कम जारी किया जाना रहा। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
2.	11-विविध सामाजिक सेवाएँ	2012-13	62.12	42.02	20.10	32.4	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना तथा चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं राजकीय स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की प्राधिकृत शुल्क के निस्तारण पर कम व्यय के कारण।
		2013-14	99.77	86.17	13.60	13.6	
		2014-15	113.73	71.26	42.47	37.3	आयोजना सीमा में कटौती, चुनाव आचार संहिता के कारण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृतियाँ जारी नहीं करना तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना रहा।
3.	20-आवास	2012-13	53.38	40.93	12.45	23.3	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	84.54	60.53	24.01	28.4	मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पर कम व्यय होना।
		2014-15	77.32	62.48	14.84	19.2	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
4.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2012-13	140.60	55.77	84.83	60.3	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	52.01	21.62	30.39	58.4	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना/कम प्राप्त होना।
		2014-15	594.70	310.30	284.40	47.8	भारत सरकार से 'समन्वित जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम' हेतु द्वितीय किशत एवं 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' हेतु निधियाँ प्राप्त नहीं होना एवं भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना।
5.	35-विविध सामदायिक एवं	2012-13	93.45	58.20	35.25	37.7	यू.आई.डी. परियोजना के अन्तर्गत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
	आर्थिक सेवाएँ						भारत के यू.आई.डी. प्राधिकरण द्वारा बी.पी.एल. उन्नयन प्रक्रिया हेतु भुगतान जारी नहीं करना रहा।
		2013-14	113.33	90.89	22.44	19.8	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	847.72	398.20	449.52	53.0	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना। भामाशाह योजना, 2014 के अन्तर्गत भामाशाह कार्ड बनाने एवं भामाशाह पंजीकरण पर चुनाव आचार संहिता के कारण कम व्यय होना। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
6.	43-खनिज	2012-13	185.53	103.42	82.11	44.3	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृतियाँ जारी नहीं करना।
		2013-14	148.65	123.36	25.29	17.0	पदों का रिक्त रहना, चुनाव आचार संहिता के कारण समय पर मशीनरी क्रय नहीं करना तथा अवैध खनन को रोकने के लिए खनिज सुरक्षा बल कर्मियों को पदस्थापित नहीं होना।
		2014-15	196.98	102.47	94.51	48.0	चिकित्सा उपकरणों की खरीद वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार नहीं किये जाने तथा खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण सुधार एवं स्वास्थ्य निधि में कम हस्तांतरण के कारण।
7.	48-विद्युत्	2012-13	6,607.34	5,607.34	1,000.00	15.1	भारत सरकार द्वारा वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम के अंतिमीकरण होने से विद्युत् वितरण कम्पनियों का कम अनुदान जारी करने के कारण।
		2013-14	9,390.63	7,213.13	2,177.50	23.2	वर्ष के दौरान वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्याज का कम भुगतान करना। विद्युत् वितरण निगम द्वारा विद्युत् कर की वास्तविक वसूली के समक्ष अनुदान जारी होना।
		2014-15	10,384.96	9,114.40	1,270.56	12.2	विद्युत् बॉण्ड्स पर ब्याज का कम भुगतान, जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् अपूर्ति के अनुसार अनुदान जारी करने, विद्युत् वितरण कम्पनियों को विद्युत् कर की वसूली के अनुसार अनुदान जारी करने तथा राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान जारी करने के अनुपात में परिवर्तन से जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान कम जारी करने के कारण।
8.	50-ग्रामीण रोजगार	2012-13	274.03	213.34	60.69	22.1	विभिन्न योजनाओं में भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना।
		2013-14	383.66	326.23	57.43	15.0	
		2014-15	3,611.45	2,389.51	1,221.60	33.8	
पूँजीगत-दत्तमत							
9.	11-विविध सामाजिक सेवाएँ	2012-13	8.32	6.73	1.59	19.1	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	9.68	8.06	1.62	16.7	विकास प्राधिकरण एवं पुरातत्व विभाग के आक्षेप के कारण वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित ग्यारह कार्य प्रारम्भ नहीं हुए तथा चुनाव आचार संहिता के कारण कार्यादेश जारी नहीं किया जाना।
		2014-15	23.15	6.86	16.29	70.4	नवीन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने में विलम्ब तथा पीडीकोर द्वारा मास्टर

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
							प्लान तैयार करने के लिए सलाहकार चयन न करने के कारण 32 मंदिरों हेतु कार्यों का निष्पादन न होना।
10.	19-लोक निर्माण कार्य	2012-13	512.57	376.86	135.71	26.5	कार्यों की धीमी प्रगति/कम निष्पादन के कारण।
		2013-14	796.83	519.09	277.74	34.9	
		2014-15	1,397.65	709.61	688.04	49.23	कार्यों के कम निष्पादन एवं लोक निर्माण विभाग पर कार्यभार की अधिकता के कारण निर्माण कार्य पूर्ण न होना। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
11.	23-श्रम तथा रोजगार	2012-13	5.10	3.72	1.38	27.1	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के मानक अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भवन किराये पर उपलब्ध न होना।
		2013-14	5.47	2.60	2.87	52.5	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	4.42	1.54	2.88	65.2	फर्मों द्वारा सम्पूर्ण आदेश की आपूर्ति न करना, फर्मों द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों को निरस्त किया गया क्योंकि सामग्री की विशिष्टता आपूर्ति आदेश के अनुसार नहीं करने तथा डी.जी.एस. एण्ड डी. संविदा दर पर सामग्री उपलब्ध न होना।
12.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2012-13	104.46	85.26	19.20	18.4	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	79.21	31.24	47.97	60.6	नये राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि का आवंटन नहीं होना तथा 70 पुस्तकालय भवनों में से मात्र 58 पुस्तकालय भवनों हेतु भूमि उपलब्ध करवाना। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	53.67	25.20	28.47	53.05	नये पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के निर्माण हेतु कार्यों का कम निष्पादन, मशीनरी क्रय नहीं करना तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तीन महाविद्यालयों के नये पाठ्यक्रमों का अनुमोदन नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
13.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2012-13	188.70	121.63	67.07	35.5	निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने/विलम्ब से होने के कारण उपकरणों की खरीद नहीं किया जाना तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	185.97	143.17	42.80	23.0	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	346.25	223.28	122.97	35.5	कार्यों की धीमी प्रगति, 1,079 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं करना, नाबार्ड द्वारा ऋणों के समक्ष कम राशि प्राप्त होना तथा भारत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखे में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
							सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
14.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2012-13	1,169.89	975.95	193.94	16.6	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2013-14	1,460.01	1,045.02	414.99	28.4	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
		2014-15	1,280.91	707.49	573.42	44.8	संविदाएँ निरस्त करने, भूमि उपलब्धता में देरी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रेल्वे क्रॉसिंग के निपटान में देरी के कारण सीवरेज क्षेत्र में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति रही। पदों का रिक्त रहना, आयोजना सीमा के कटौती एवं निर्माण स्थल की भूमि में बदलाव करना।
15.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2012-13	1,240.46	1,008.19	232.27	18.7	निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/प्रारम्भ न होना/निष्पादन न होना तथा विद्युत् कम्पनियों में कम निवेश होना।
		2013-14	1,822.66	1,599.82	222.84	12.2	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	2,732.48	2,116.63	615.85	22.5	नाबार्ड आधारित योजनान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं करना, कार्यों का कम निष्पादन/अनिष्पादन तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना/कम प्राप्त होना।
16.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2012-13	159.15	73.38	85.77	53.9	कार्यों का कम निष्पादन/अनिष्पादन तथा निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृति जारी नहीं करना।
		2013-14	84.36	73.15	11.21	13.3	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2014-15	301.82	45.84	255.98	84.8	भूमि आवंटन में विलम्ब के परिणामस्वरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दो आवासीय विद्यालयों में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
17.	46-सिंचाई	2012-13	811.29	582.32	228.97	28.2	कार्यों का कम निष्पादन।
		2013-14	1,108.51	829.33	279.18	25.2	
		2014-15	1,165.59	953.91	211.68	18.2	

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8: पृष्ठ 91)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुये

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत					
1.	5-प्रशासनिक सेवाएँ	135.15	128.10	7.05	6.53
2.	6-न्याय प्रशासन	567.37	539.03	28.34	9.07
3.	7-निर्वाचन	355.51	336.60	18.91	2.42
4.	8-राजस्व	633.60	579.05	54.55	6.41
5.	12-अन्य कर	443.20	434.14	9.06	73.13
6.	19-लोक निर्माण कार्य	411.61	372.60	39.01	7.71
7.	20-आवास	69.26	62.48	6.78	8.06
8.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	477.18	310.30	166.88	117.52
9.	41-सामुदायिक विकास	5,065.56	4,457.14	608.42	28.03
10.	43-खनिज	109.13	102.47	6.66	87.85
पूँजीगत-दत्तमत					
11.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,306.93	2,116.63	190.30	425.55
12.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,712.86	2,551.98	160.88	336.58
राजस्व-प्रभारित					
13.	ब्याज अदायगियों	10,470.36	10,462.89	7.47	54.82
14.	लोक सेवा आयोग	24.11	19.77	4.34	4.68
योग		23,781.83	22,473.18	1,308.65	1,168.36

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.9: पृष्ठ 92)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचत ₹ 1 करोड़ से अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन					
1.	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-101-01 राज्य कर्मचारियों को पेंशन	(-) 184.00	(-) 15.64
2.	21	सड़के एवं पुल	3054-80-797-03 केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100% केन्द्र)	(+) 18.39	(+) 39.88
3.			3054-02-337-01-01 सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से संधारण एवं जीर्णोद्धार	(-) 84.14	(+) 12.88
4.			5054-03-337-04 सड़को के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान	(+) 43.61	(+) 1.15
5.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4217-60-050-03 राजस्थान अरबन सैक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर.यू.एस.डी.आई.पी) आर.यू.आई.डी.पी. द्वितीय चरण (ई.ए. पी) निर्माण कार्य	(-) 65.78	(-) 12.49
6.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-60-196-01-05 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	(-) 20.73	(-) 3.28
7.	46	सिंचाई	4700-24-001-03-01 राजस्थान में निर्माण कार्य	(-) 64.90	(-) 1.07
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन					
8.	46	सिंचाई	2700-05-001-01-01 इंदिरा गांधी नहर फीडर	(+) 2.01	(-) 2.26
9.			2700-24-800-01 नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक) में अन्य व्यय	(+) 3.69	(-) 9.66
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन					
10.	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-102 पेंशन का सारांशिकृत मूल्य	(+) 76.00	(-) 1.38
11.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-02-109-01 लड़कों के विद्यालय-राजकीय माध्यमिक विद्यालय	(+) 27.04	(-) 1.25

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
12.	27	पेय जल योजना	4215-01-102-03-05 मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति और सफाई-01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)	(+) 57.18	(-) 34.77
13.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2700-27-796-04 माही परियोजना (वाणिज्यिक) में अन्य व्यय	(+) 3.04	(-) 2.38
14.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-60-196-01-01 मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	(+) 205.22	(-) 56.12
15.			2235-60-196-01-02 मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	(+) 7.94	(-) 2.43
16.			2235-60-196-01-03 मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना	(+) 15.95	(-) 6.40
17.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2210-05-789-01-01 चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर	(+) 3.43	(-) 2.20
18.			5054-04-789-12-01 विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना-ग्रामीण सम्पर्क सड़कें	(+) 4.67	(-) 3.54
योग					(-) 154.87 (+) 53.91

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.11: पृष्ठ 92)

31 मार्च 2015 को ₹ 20 करोड़ से अधिक की बचतों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि
1.	ब्याज अदायगियों	2049	10,525.18	61.14
2.	3-सचिवालय	2052, 2251, 3451	250.67	22.89
3.	4-जिला प्रशासन	2053	383.54	35.19
4.	6-न्याय प्रशासन	2014	576.44	37.14
5.	8-राजस्व	2029, 2052	640.01	60.82
6.	9-वन	2406	747.86	116.73
7.		4406	223.41	84.69
8.	11-विविध सामाजिक सेवाएँ	2250, 3425, 3435	113.73	42.46
9.	12-अन्य कर	2030, 2041, 2045, 3055	516.33	81.29
10.		5055, 7055	374.78	300.00
11.	14-बिक्री कर	2040	654.02	51.98
12.	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071	9,895.11	251.59
13.	16-पुलिस	2055, 2070	3,850.99	84.81
14.	18-जन सम्पर्क	2220	77.94	28.34
15.	19-लोक निर्माण कार्य	2059	419.32	46.74
16.		4055, 4059, 4070, 4202, 4210, 4220, 4225, 4235, 4250, 4403, 4515, 4700, 4853, 5475	1,397.65	698.21
17.	21-सड़कें एवं पुल	3054	1,721.39	184.10
18.		4851, 4853, 5054, 7075	3,281.25	887.62
19.	22-क्षेत्र का विकास	4575, 4705	348.13	90.32
20.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2070, 2202, 2203, 2204, 2205	19,318.57	2,745.93
21.		4202, 6202	53.67	29.00
22.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210, 2211, 3606	6,251.69	1,169.00
23.		4210, 6210	346.25	122.96
24.	27-पेय जल योजना	2215	2,501.77	92.48
25.		4215	3,573.71	207.20
26.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501, 2515, 2810	594.70	284.40
27.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2216, 2217, 3055	2,863.76	564.54
28.		4217, 5055, 6217	1,280.91	560.93
29.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2014, 2029, 2055, 2059, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2216, 2217, 2220, 2225, 2230, 2235, 2236, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2415, 2425, 2501, 2505, 2515, 2700, 2702, 2705,	6,352.64	1,217.03

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि
		2801, 2810, 2851, 2852, 2853, 3055, 3425, 3435, 3451, 3452, 3454, 3456, 3475, 3604		
30.		4058, 4059, 4202, 4210, 4215, 4217, 4220, 4225, 4235, 4236, 4250, 4401, 4402, 4405, 4406, 4425, 4515, 4575, 4700, 4701, 4702, 4705, 4801, 4853, 4885, 5054, 5452, 5475, 6216, 6408, 6885, 7055	2,732.48	614.93
31.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2202, 2225, 2230, 2235, 2236	5,592.13	163.93
32.		4225, 4235, 4236, 6225, 6235	301.82	246.72
33.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245	2,438.92	126.02
34.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	2047, 3454, 3475	847.72	449.46
35.	37-कृषि	2401, 2415, 2435	1956.80	406.24
36.		4401, 6401, 6408	429.96	120.02
37.	39-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2403, 2404, 2405, 2415	632.06	120.42
38.	41-सामुदायिक विकास	2515	5,093.59	636.30
39.	42-उद्योग	4851, 4885, 6851, 6860, 6885	20.22	20.11
40.	43-खनिज	2802, 2853	196.98	87.03
41.		4802, 4853, 6802	103.56	103.20
42.	46-सिंचाई	2700, 2701, 2702	1,814.74	109.43
43.		4700, 4701, 4702, 4711	1,165.59	206.97
44.	48-विद्युत	2801, 2810	10,384.96	1,270.56
45.		4801, 4810, 6801	3,600.00	532.87
46.	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	3604	80.53	80.40
47.	50-ग्रामीण रोजगार	2505, 2515	3,611.45	1,221.60
48.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2014, 2029, 2055, 2056, 2059, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2216, 2217, 2225, 2230, 2235, 2236, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2425, 2501, 2505, 2515, 2701, 2702, 2705, 2801, 2810, 2851, 2852, 2853, 3055, 3425, 3451, 3452, 3454, 3456, 3475, 3604	6,164.27	1651.55
49.		4055, 4059, 4202, 4210, 4215, 4217, 4220, 4225, 4235, 4236, 4250, 4401, 4402, 4406, 4425, 4515, 4575, 4700, 4701, 4702, 4705, 4711, 4801, 4853, 4885, 5054, 5452, 5475, 6216, 7055	3,049.44	487.74
		योग	1,29,352.64	18,815.03

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.11: पृष्ठ 93)

₹ 1 करोड़ से अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित रहने से शेष रही बचतें
राजस्व-दत्तमत				
1.	7-निर्वाचन	21.33	18.81	2.52
2.	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	266.14	251.59	14.55
3.	16-पुलिस	87.14	84.81	2.33
4.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2,748.25	2,745.93	2.32
5.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1,170.24	1,169.00	1.24
6.	27-पेय जल योजना	98.50	92.48	6.02
7.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,222.56	1,217.03	5.53
8.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	233.27	163.93	69.34
9.	37-कृषि	409.89	406.24	3.65
10.	43-खनिज	94.51	87.03	7.48
11.	46-सिंचाई	111.86	109.43	2.43
12.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,654.42	1,651.55	2.87
पूंजीगत-दत्तमत				
13.	9-वन	88.49	84.69	3.80
14.	27-पेय जल योजना	265.69	207.20	58.49
15.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	573.42	560.93	12.49
16.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	255.98	246.72	9.26
17.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	5.88	4.58	1.30
18.	42-उद्योग	101.86	20.11	81.75
19.	43-खनिज	108.21	103.20	5.01
20.	46-सिंचाई	211.68	206.97	4.71
21.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	497.46	487.74	9.72
राजस्व-प्रभारित				
22.	ब्याज अदायगियों	62.28	61.14	1.14
	योग	10,289.06	9,981.11	307.95

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.12: पृष्ठ 93)

एक-मुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹ 15 करोड़ से अधिक तथा साथ ही कुल बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
1.	8	राजस्व	2029-103-07 राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	56.80	48.97	86.2
2.	9	वन	2406-02-110-01 बाघ परियोजना, रणथम्भौर	40.19	29.69	73.9
3.			2406-02-110-02 बाघ परियोजना, सरिस्का	26.30	22.46	85.4
4.	11	विविध सामाजिक सेवाएँ	3435-03-102-04 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	28.58	24.03	84.1
5.	12	अन्य कर	5055-190-07 सुधार सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बस अड्डा सेवा निगम को हस्तान्तरित की गई परिसमत्तियों के विरुद्ध राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को अंशपूजी	360.00	300.00	83.3
6.	16	पुलिस	4055-211-01-90 पुलिस आवास-निर्माण कार्य	16.98	16.15	95.1
7.	19	लोक निर्माण कार्य	4059-80-051-04-01 मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	54.88	35.90	65.4
8.			4059-80-051-06 सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण के तहत बनने वाले भवन)	51.77	40.92	79.0
9.			4210-03-105-02-90 चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर-निर्माण कार्य	61.74	32.77	53.1
10.			4210-03-105-03-90 चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर-निर्माण कार्य	45.12	23.20	51.4
11.			4210-03-105-06-90 चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा-निर्माण कार्य	36.64	23.93	65.3
12.			4250-203-02-90 रोजगार-प्रशिक्षण-निर्माण कार्य	20.39	17.02	83.5
13.	21	सड़कें एवं पुल	3054-03-337-01-06 परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.)	20.00	20.00	100.0
14.			3054-04-800-01-05 परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.)	20.00	20.00	100.0
15.	21	सड़कें एवं पुल	3054-04-800-02-07 परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.)	60.00	60.00	100.0
16.			5054-03-337-10 थनजी जन सहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण	221.24	216.63	97.9
17.			5054-04-800-11-16 सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतित्म)	125.44	111.24	88.7
18.	22	क्षेत्र का विकास	4705-108-01-01 भूमि विकास कार्य (भाखड़ा सिंचाई परियोजना)	16.82	16.82	100.0

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
19.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-02-109-08-01 बालिका छात्रावास-सामान्य व्यय	66.85	48.15	72.0
20.			2202-02-109-09-01 मॉडल स्कूल-सामान्य व्यय	206.06	128.10	62.2
21.			2202-02-109-11 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण	40.62	31.35	77.2
22.			2202-02-109-18 राजकीय माध्यमिक विद्यालय-आई.सी.टी.	36.25	23.05	63.6
23.			2202-02-109-23 लैपटॉप वितरण	49.42	49.42	100.0
24.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-05-105-03-01 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	134.91	111.73	82.8
25.			2210-06-101-21 राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम	51.46	30.46	59.2
26.			2211-800-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	203.09	150.21	74.0
27.			4210-02-800-02-01 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण	106.34	71.91	67.6
28.	28	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-06-196-06-01 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-अनुदान	100.50	100.50	100.0
29.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-190-02-02 जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	46.20	25.05	54.2
30.			2217-80-191-28 तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान	41.59	41.59	100.0
31.			2217-80-192-01-01 निर्बन्ध अनुदान	22.74	22.74	100.0
32.			2217-80-192-22-01 छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (10:10:80)-विकास कार्य	317.43	188.48	59.4
33.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-192-29 तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान	102.31	102.31	100.0
34.			4217-03-800-03-01 स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से विकास कार्य	207.85	167.68	80.7
35.			4217-04-800-01 एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास योजना	78.56	64.16	81.7
36.			6217-60-190-03-01 एशियन विकास बैंक से ऋण	150.00	82.66	55.1
37.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-109-09-03 अनुसूचित जनजातियों के लिए मॉडल विद्यालय	47.61	32.35	67.9
38.			2211-796-07-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	37.72	27.90	74.0
39.			2217-80-192-22-03 छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना-विकास कार्य	62.44	44.61	71.4
40.			2225-02-796-17-18 सहरियाओं के लिए एकीकृत विकास परियोजना	32.29	26.10	80.8
41.			2501-05-196-06-02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-अनुदान	40.00	40.00	100.0
42.			2515-196-26-02 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-कार्यकलाप/गतिविधियाँ	53.71	31.40	58.5

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
43.			3454-02-796-02-02 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना	16.39	16.39	100.0
44.			3454-02-796-05-01 भामाशाह योजना, 2014-आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	65.58	35.58	54.3
45.			4210-02-796-03-01 स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण	19.74	19.74	100.0
46.			4700-24-796-01 नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)-जनजातीय क्षेत्र उपयोग-निर्माण कार्य	29.45	18.44	62.6
47.			4702-796-03-01 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम-निर्माण कार्य	20.00	15.62	78.1
48.			5054-04-796-06-09 सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतित्म)	21.02	20.10	95.6
49.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4225-03-800-01-03 देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण	57.86	41.29	71.4
50.			4236-02-800-09 आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	180.17	170.76	94.8
51.	35	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ	3454-02-203-01-04 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना	83.41	83.41	100.0
52.	37	कृषि	2401-109-16-01 राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन	25.71	19.60	76.2
53.			2401-196-06-22 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज	42.53	29.54	69.5
54.			2401-196-06-25 राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार	25.17	18.07	71.8
55.			2401-196-06-28 टिकाऊ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास	32.28	31.42	97.3
56.			2401-800-31-01 राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना-कृषि विभाग के माध्यम से	27.60	25.60	92.8
57.			2401-800-35-02 मूदा स्वास्थ्य प्रबन्धन	15.89	15.89	100.0
58.	39	पशुपालन एवं चिकित्सा	2403-106-02-01 गौशालाओं को अनुदान	58.65	40.62	69.3
59.			2404-195-01 राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ को सहायता	16.54	15.39	93.0
60.	41	सामुदायिक विकास	2515-102-01-07 वित्तीय सशक्तिकरण योजना-सामान्य सेवा प्रदाता को भुगतान	25.00	25.00	100.0
61.			2515-196-28-02 राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-कार्यकलाप/गतिविधियाँ	49.46	46.35	93.7
62.			2515-197-09-03 जनता जल योजनान्तर्गत संधारण	34.00	29.27	86.1
63.			2515-198-27-01 राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की सुरक्षा हेतु अनुबन्ध के कार्मिकों के मानदेय हेतु-संस्थापन	20.00	20.00	100.0
64.	42	उद्योग	4885-60-800-23-01 दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर	20.00	19.99	99.9
65.	43	खनिज	2853-02-797-01 लेखा मद 8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार	44.94	37.12	82.6

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की दर
66.			2853-02-800-01-02 माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यय-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	34.61	28.59	82.6
67.			4802-02-190-03 एच.पी.सी.एल.-राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	102.10	102.10	100.0
68.	48	विद्युत्	2801-80-190-35-01 जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान	500.73	253.39	50.6
69.			2801-80-190-35-02 जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान	490.49	261.75	53.4
70.	48	विद्युत्	2801-80-190-35-03 अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान	588.72	304.07	51.6
71.			2810-102-01-01 राजस्थान अक्षय उर्जा निगम लिमिटेड के माध्यम से	71.00	71.00	100.0
72.			2810-190-01-01 सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन योजना	21.00	21.00	100.0
73.	49	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	3604-198-01 राजस्थान वित्त आयोग की अनुशंसा पर रॉयल्टी में पंचायतों को हिस्सा	80.00	80.00	100.0
74.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-02-107-14 सफाई कार्य करने वाले परिवार के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	33.42	21.32	63.8
75.			2202-02-109-09-02 अनुसूचित जातियों के लिए मॉडल विद्यालय	81.76	61.98	75.8
76.			2210-03-197-03-01 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	25.13	21.70	86.4
77.			2211-789-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	49.32	36.48	74.0
78.			2217-80-192-22-02 छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना-विकास कार्य	82.65	59.06	71.5
79.			2225-01-196-12 संबल ग्रामों का विकास	39.70	32.53	81.9
80.			2401-789-02-05 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (20% राज्यांश : 80% केंद्रीयंश)	32.32	26.64	82.4
81.			2401-789-02-12 सोलर पम्प सैट पर अतिरिक्त अनुदान	19.07	19.07	100.0
82.			2403-789-02-01 गौशालाओं को अनुदान	18.15	18.15	100.0
83.			2501-06-196-06-03 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-अनुदान	60.00	60.00	100.0
84.			2505-01-196-01-04 इंदिरा आवास योजना-अनुदान (राज्यांश)	249.85	132.31	53.0
85.			2810-789-01-01 राजस्थान अक्षय उर्जा निगम लिमिटेड के माध्यम से	17.00	17.00	100.0
86.			3454-02-789-01-02 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना	21.61	21.61	100.0
87.			3454-02-789-05-01 भामाशाह योजना, 2014-आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	92.94	51.94	55.9
88.			4217-04-789-01 एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास योजना	20.90	17.60	84.2
89.			5054-03-789-04-90 राज्य सड़क विकास निधि को पोषित सड़के (राज्य राजमार्ग)-निर्माण कार्य	34.65	21.65	62.5
			योग	7,197.35	5,237.77	72.8

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.13: पृष्ठ 93)

वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण का विवरण (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
1	2	3	4	5
राजस्व-दत्तमत				
1	20-आवास	14.84	17.45	2.61
2	21-सड़कें एवं पुल	93.07	184.10	91.03
पूँजीगत-दत्तमत				
3	19-लोक निर्माण कार्य	688.04	698.21	10.17
4	21-सड़कें एवं पुल	881.43	887.62	6.19
	योग	1,677.38	1,787.38	110.00

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4: पृष्ठ 99)

प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं होने का विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष की संख्या नाम	आ./केप्रयो ⁹	वर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण	पुनर्विनियोजन	विभागीय उत्तर
1.	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 111-सर्व शिक्षा अभियान 05-डी.पी.ई.पी. कार्योत्तर गतिविधियाँ	आ.	2013-14	10.00	10.00	-	डी.पी.ई.पी. योजना शीघ्र बन्द होना।
2.	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 800-अन्य व्यय 17-लैपटॉप वितरण	आ.	2012-13	21.00	-	21.00	राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।
3.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 107-छात्रवृत्तियाँ 12-सफाई कार्य करने वाले परिवार के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	केप्रयो	2012-13	17.80	-	17.80	भारत सरकार से स्वीकृत निधि प्राप्त नहीं होना।
4.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 02-बालिका विद्यालय	केप्रयो	2012-13	5.10	-	5.10	भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होना।
5.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 08-बालिका छात्रावास 01-बालिका छात्रावास-सामान्य व्यय	केप्रयो	2012-13	50.66	-	50.66	भारत सरकार से स्वीकृत निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
6.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 800-अन्य व्यय 21-आवासीय विद्यालय	आ.	2012-13	1.40	-	1.40	योजनानुसार व्यय नहीं होना।
7.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 800-अन्य व्यय 22-माध्यमिक विद्यालयों को फर्नीचर सुविधा	आ.	2013-14	21.40	21.40	-	आयोजना सीमा में संशोधन होना।

⁹ आ.: आयोजना, के.प्र.यो.: केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजना।

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष की संख्या नाम	आ./केप्रयो ⁹	वर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण	पुनर्विनियोजन	विभागीय उत्तर
8.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 23-लैपटॉप वितरण	आ.	2014-15	49.42	49.42	-	31 मई 2015 तक निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होना।
9.	2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102-विश्वविद्यालय को सहायता 08-कोटा विश्वविद्यालय को अनुदान	आ.	2012-13	1.00	-	1.00	राशि का आवंटन नहीं होना।
10.	2202-सामान्य शिक्षा 04-प्रौढ़ शिक्षा 200-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 02-साक्षर भारत अभियान	आ.	2012-13	5.50	-	5.50	केन्द्रयांश प्राप्त नहीं होना।
11.	2203-तकनीकी शिक्षा 104-अराजकीय तकनीकी महाविद्यालयों तथा संस्थानों को सहायता 04-माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल संस्थान, भीलवाड़ा	आ.	2014-15	1.30	1.30	-	राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।
12.	2205-कला एवं संस्कृति 102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 13-रवीन्द्र मंच	आ.	2013-14	4.75	4.75	-	राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।
13.	2205-कला एवं संस्कृति 103-पुरातत्व विज्ञान 03-सवाई मान सिंह टॉउन हॉल में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना	आ.	2013-14	11.50	11.50	-	कार्यकारी अभिकरण 'आमेर विकास एवं प्रबन्ध प्राधिकरण' द्वारा निधियों का उपयोग नहीं करना।
		आ.	2014-15	11.50	11.50	-	
		केप्रयो	2013-14	3.50	3.50	-	
14.	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 04-कॉलेज शिक्षा 01-भवन (प्रतिशतता प्रभार सहित)	आ.	2013-14	6.51	6.51	-	राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।
15.	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 04-कला एवं संस्कृति 106-संग्रहालय 05-सवाई मान सिंह टॉउन हॉल एवं जलेब चौक में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हेतु	आ.	2012-13	10.00	-	10.00	राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ अनुच्छेद 2.6: पृष्ठ 101)

वर्ष 2014-15 तक बकाया विस्तृत आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
1.	2013	2014-15	1	0.25
		योग	1	0.25
2.	2014	2013-14	1	0.50
		2014-15	2	1.00
		योग	3	1.50
3.	2015	2014-15	3	4.98
		योग	3	4.98
4.	2029	2007-08	1	292.18
		2010-11	1	26.60
		2011-12	4	325.30
		2013-14	8	192.41
		2014-15	2	0.74
		योग	16	837.23
5.	2039	2014-15	1	5.46
		योग	1	5.46
6.	2040	2014-15	2	22.91
		योग	2	22.91
7.	2051	2014-15	1	5.00
		योग	1	5.00
8.	2052	2011-12	2	11.13
		2012-13	2	2.50
		2013-14	1	3.95
		2014-15	3	23.09
		योग	8	40.67
	2053	2014-15	1	0.38
		योग	1	0.38
9.	2055	2012-13	3	191
		2013-14	3	0.90
		2014-15	21	320.51
		योग	27	512.41
10.	2059	2011-12	1	1.64
		योग	1	1.64
11.	2070	2013-14	2	15.54
		2014-15	6	25.54
		योग	8	41.08
12.	2202	1989-90	2	0.60
		1990-91	3	0.41
		1991-92	3	0.96
		1992-93	4	0.86
		1996-97	1	0.08
		1997-98	1	0.68
		2013-14	1	225.00
		2014-15	1	0.44
		योग	16	229.03
		13.	2204	2014-15
योग	5			13.82
14.	2205	2012-13	1	11.23
		2014-15	2	75.90
		योग	3	87.13
15.	2210	2011-12	4	73.44
		2012-13	2	56.32
		2013-14	10	254.44
		2014-15	27	750.87
		योग	43	1,135.07
16.	2215	2010-11	2	0.38
		2013-14	1	0.23

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
		2014-15	3	0.45
		योग	6	1.06
17.	2217	2014-15	8	23.09
		योग	8	23.09
18.	2225	2014-15	1	6.00
		योग	1	6.00
19.	2235	2013-14	1	1.50
		योग	1	1.50
20.	2245	2002-03	2	18.80
		2006-07	2	80.14
		2008-09	1	19.01
		2010-11	4	124.90
		2011-12	1	1.00
		2012-13	4	122.94
		2013-14	15	7,022.76
		2014-15	52	16,332.50
		योग	81	23,722.05
21.	2403	2013-14	3	0.45
		2014-15	14	28.24
		योग	17	28.69
22.	2406	2012-13	2	0.80
		2014-15	1	0.55
		योग	3	1.35
23.	2515	2008-09	1	11.29
		2013-14	1	0.21
		2014-15	55	361.12
		योग	57	372.62
24.	2701	2014-15	2	3.77
		योग	2	3.77
25.	2851	2013-14	1	3.03
		2014-15	3	2.00
		योग	4	5.03
26.	2853	2012-13	1	150.00
		2013-14	1	24.00
		2014-15	1	2.54
		योग	3	176.54
27.	3054	2014-15	4	497.93
		योग	4	497.93
28.	3425	2014-15	2	1.68
		Total	2	1.68
29.	3452	2014-15	7	12.31
		योग	7	12.31
30.	3454	2000-01	2	4.57
		2014-15	2	8.85
		योग	4	13.42
31.	4059	2011-12	8	20.00
		योग	8	20.00
32.	4202	1990-91	1	0.30
		1992-93	1	0.24
		2005-06	1	4.20
		योग	3	4.74
33.	4210	2012-13	4	207.59
		2013-14	1	185.00
		2014-15	7	409.35
		योग	12	801.94
34.	4250	2014-15	2	190.00
		योग	2	190.00
35.	4700	2014-15	1	6.36
		योग	1	6.36
36.	4853	2012-13	1	30.00
		योग	1	30.00
37.	5054	2000-01	2	34.50
		योग	2	34.50
		कुल योग	368	28,893.14

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 105)

30 जून 2015 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग	अनुदान भुगतान का वर्ष	भुगतान किया गया कुल अनुदान		उपयोगिता प्रमाण-पत्र			
			संख्या	राशि	प्राप्त		बकाया	
					संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	परिवार कल्याण (2211)	2007-08	1	486.00	0	347.68	1	138.32
		2008-09	1	489.00	0	306.41	1	182.59
		2009-10	5	508.97	4	310.12	1	198.85
योग			7	1,483.97	4	964.21	3	519.76
2.	समाज कल्याण (2225)	2004-05	308	235.47	307	223.75	1	11.72
		2013-14	2	2.07	2	2.07	0	0
योग			310	237.54	309	225.82	1	11.72
3.	समाज कल्याण (2235)	2013-14	124	2,899.03	100	2,853.55	24	45.48
योग			124	2,899.03	100	2,853.55	24	45.48
4.	पोषण (2236)	2013-14	5	98.14	4	78.57	1	19.57
योग			5	98.14	4	78.57	1	19.57
5.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (3425)	2009-10	55	84.65	38	51.32	17	33.33
		2010-11	35	176.76	22	144.06	13	32.70
		2011-12	38	752.67	14	267.76	24	484.91
		2012-13	43	1038.54	18	66.09	25	972.45
		2013-14	35	146.67	12	46.79	23	99.88
योग			206	2,199.29	104	576.02	102	1623.27
6.	पर्यावरण (3435)	1997-98	30	27.56	29	27.48	1	0.08
		1998-99	25	26.20	22	25.98	3	0.22
योग			55	53.76	51	53.46	4	0.30
महायोग			707	6,971.73	572	4,751.63	135	2,220.10

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 106)

निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया खर्च (₹ लाख में)
उच्च शिक्षा					
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	2	2012-14	6,300	17,247.87
2.	डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर	2	2012-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	महाराजा सूरजमल वृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	2	2012-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	2	2012-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर	2	2012-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6.	पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	2	2012-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	योग	12		6,300	17,247.87
माध्यमिक शिक्षा					
1.	श्री जगदम्बा मूक बधिर विद्यालय, श्रीगंगानगर	1	2013-14	89.39	98.16
	योग	1		89.39	98.16
तकनीकी शिक्षा					
1.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	5	2009-14	103.00	310.92
	योग	5		103.00	310.92
श्रम					
1.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बाड़मेर	11	2003-14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बांसवाड़ा	2	2012-14	4.15	0.74
3.	बाल श्रम परियोजना संस्था, भरतपुर	10	2004 -14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बून्दी	4	2010-14	118.37	112.80
5.	बाल श्रम परियोजना संस्था, चित्तौड़गढ़	1	2013-14	129.79	0.59
6.	बाल श्रम परियोजना संस्था, चुरू	3	2011-14	15.26	0.37
7.	बाल श्रम परियोजना संस्था, धौलपुर	1	2013-14	11.86	0.51
8.	बाल श्रम परियोजना संस्था, डुंगरपुर	2	2012-14	2.52	0.58
9.	बाल श्रम परियोजना संस्था, झालावाड़	1	2013-14	17.41	2.54
10.	बाल श्रम परियोजना संस्था, पाली	2	2012-14	12.45	3.10
11.	बाल श्रम परियोजना संस्था, श्रीगंगानगर	3	2011-14	0.01	1.24
12.	बाल श्रम परियोजना संस्था, उदयपुर	2	2012-14	78.83	2.63
	योग	42		390.65	125.10
उद्योग					
1.	निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर	1	2013-14	436.40	457.50
2.	आदित्य मिल्स लिमिटेड, अजमेर	1	2013-14	शून्य	85.26
3.	उद्यमिता एवं प्रबन्धन विकास संस्थान, जयपुर	2	2012-14	308.93	375.47
	योग	4		745.33	918.23
पर्यटन					
1.	राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान, जोधपुर	1	2013-14	534.00	223.00
	योग	1		534.00	223.00

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया खर्च (₹ लाख में)
कला एवं संस्कृति					
1.	भारतीय कॉफ्ट एवं डिजाइन संस्थान, जयपुर	2	2012-14	शून्य	285.77
2.	राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर	1	2013-14	100.20	100.80
3.	राजस्थान संगीत अकादमी, पावटा, जोधपुर	1	2013-14	172.00	229.96
4.	राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर	1	2013-14	76.93	80.51
5.	राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, बीकानेर	1	2013-14	79.95	66.45
	योग	6		429.08	763.49
आयुर्वेद					
1.	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2	2012-14	980.00	501.93
	योग	2		980.00	501.93
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य					
1.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	1	2013-14	847.50	627.25
	योग	1		847.50	627.25
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
1.	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	2	2012-14	763.00	157.94
2.	राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर	1	2013-14	130.61	128.14
3.	राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	1	2013-14	4799.05	5455.29
4.	अफीम नशामुक्ति उपचार एवं प्रशिक्षण अनुसंधान न्यास, जोधपुर।	1	2013-14	23.12	57.00
	योग	5		5715.78	5798.37
जनजाति क्षेत्रीय विकास					
1.	स्वच्छता जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर	2	2012-14	1978.17	1298.31
	योग	2		1978.17	1298.31
महिला एवं बाल विकास					
1.	महिला एवं बाल विकास (ल्यूपिन) परियोजना, कुम्हेर, भरतपुर	2	2012-14	218.02	557.90
	योग	2		218.02	557.90
सामान्य प्रशासनिक विभाग					
1.	राजस्थान राज्य उड्डयन विद्यालय, सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर	2	2012-14	57.50	27.95
	योग	2		57.50	27.95
	कुल योग	85		18388.42	28498.48
				या ₹ 183.88 करोड़	₹ 284.99 करोड़

परिशिष्ट 3.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 107)

स्वायत्त निकायों के निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जहाँ तक लेखे प्राप्त हुये	अवधि जहाँ तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किये गये	विधानमण्डल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उपस्थापन	लेखों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	31.08.2015 तक विलम्ब की अवधि (माह में)
1.	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, जयपुर	2012-13 से 2016-17	2013-14	2013-14	22 फरवरी 2013 (2001-02 से 2009-10)	2014-15	02
2.	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर	धारा 19(2) के अन्तर्गत	2013-14	2012-13	सूचित नहीं	2014-15	02
3.	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	धारा 19(2) के अन्तर्गत	2013-14	2012-13	-उपरोक्त -	2014-15	02
4.	राजस्थान भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर	धारा 19(2) के अन्तर्गत	2012-13	2012-13	-उपरोक्त -	2013-14 2014-15	14 02

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.9.4 एवं 3.4; पृष्ठ 52 एवं 108)

विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	वर्ष जहाँ तक तक लेखाओं का अंतिमीकरण किया गया	विगत अंतिमीकरण किये लेखों के अनुसार निवेश ¹⁰	कुल संचित हानि
1	जेल विनिर्माण, अजमेर	2013-14	2.14	1.86
2	जेल विनिर्माण, अलवर	2012-13	0.63	0.63
3	जेल विनिर्माण, बीकानेर	2013-14	1.68	1.45
4	जेल विनिर्माण, जयपुर	2013-14	0.58	2.88
5	जेल विनिर्माण, जोधपुर	2013-14	2.20	1.94
6	जेल विनिर्माण, कोटा	2012-13	0.01	0.48
7	जेल विनिर्माण, उदयपुर	2013-14	2.03	1.47
8	वन कूपस का विभागीय व्यापार	2013-14	शून्य ¹¹	
9	तेन्दू पत्ता योजना	2013-14	शून्य ¹¹	
10	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर	2013-14	13,865.95	11,021.29
	योग		13,875.22	11,032.00

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

¹⁰ निवेश वित्तीय वर्ष जब तक कि लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था के अंतिम दिन सरकार के स्थाई एवं चालू पूँजी लेखों के शेष का द्योतक है।

¹¹ सरकार का पूँजी निवेश शून्य है, क्योंकि उपक्रमों से प्रेषण सरकार द्वारा निवेशित राशि से अधिक थे।

परिशिष्ट 3.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 108)

दुर्विनियोजन, चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहां जून 2015 के अन्त तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी)

(प्रकरणों की संख्या)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष एवं अधिक	प्रकरणों की कुल संख्या
1.	राजस्व	28	13	23	09	01	01	75
2.	शिक्षा	54	64	25	13	11	09	176
3.	चिकित्सा	27	18	14	11	04	04	78
4.	लोक निर्माण	01	-	4	20	04	06	35
5.	जल संसाधन	01	03	5	01	-	02	12
6.	भू-जल	03	09	06	03	02	-	23
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	-	01	03	04	02	-	10
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	02	08	05	03	-	01	19
9.	वन	04	-	01	04	01	-	10
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	32	64	84	48	30	23	281
11.	अन्य	64	44	39	17	14	11	189
	योग	216	224	209	133	69	57	908

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 108)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	चोरी/हानि के प्रकरण		दुर्विनियोजन/गबन		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व	33	181.46	42	969.20	75	1150.66
2.	शिक्षा	105	122.91	71	695.24	176	818.15
3.	चिकित्सा	33	57.85	45	443.95	78	501.80
4.	लोक निर्माण	09	5.51	26	459.76	35	465.27
5.	जल संसाधन	05	1.04	07	80.95	12	81.99
6.	भू-जल	20	39.11	03	5.09	23	44.20
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	09	10.48	01	0.80	10	11.28
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	14	79.88	05	69.73	19	149.61
9.	वन	07	34.08	03	78.23	10	112.31
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	260	257.19	21	170.04	281	427.23
11.	अन्य	78	450.63	111	1467.49	189	1918.12
	योग	573	1240.14	335	4440.48	908	5680.62

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 110)

वर्ष 2010-15 के दौरान असंचालित रहे निजी निक्षेप खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	31.3.2010 को शेष	2010-15 के दौरान		31.3.2015 को शेष
			प्राप्ति	भुगतान	
1.	निदेशक, वोकाटी अजमेर	0.36	शून्य	शून्य	0.36
2.	रॉफलस विश्वविद्यालय, नीमराणा, अलवर	5.00	शून्य	शून्य	5.00
3.	सयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, भरतपुर	0.13	शून्य	शून्य	0.13
4.	अधीक्षण अभियंता, शहरी आधारभूत विकास योजना, बीकानेर	5.00	शून्य	शून्य	5.00
5.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए उच्च शिक्षा एकेडमी, जयपुर, (सचिवालय)	3.17	शून्य	शून्य	3.17
6.	सचिव, पिछड़ा वर्ग संगठन, तहसील पोकरण, जैसलमेर	0.01	शून्य	शून्य	0.01
7.	कार्यकारी अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जालौर	1.70	शून्य	शून्य	1.70
8.	कार्यकारी अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, भीनमाल, जालोर	2.65	शून्य	शून्य	2.65
9.	श्रीधर विश्वविद्यालय, बीगोदाना, झुंझुनू	0.01	शून्य	शून्य	0.01
10.	आई.टी.आई. निर्माण केन्द्र, जोधपुर शहर	1.37	शून्य	शून्य	1.37
11.	कृषि उपज मंडी समिति, पीपाड़सिटी, जोधपुर (ग्रामीण)	- ¹²	शून्य	शून्य	- ¹²
12.	कार्यकारी अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, साउथ-डिवीजन, बाड़मेर	0.74	शून्य	शून्य	0.74
योग		20.14			20.14

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

¹² मात्र ₹ 500.

परिशिष्ट 3.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.10; पृष्ठ 112)

मुख्य शीर्ष "8658-उच्च लेख" के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2012-13		2013-14		2014-15	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उच्च	10.43	0.57	26.62	0.91	47.00	1.37
निवल	(नामे) 9.86		(नामे) 25.71		(नामे) 45.63	
102-उच्च लेखा (सिविल)	3.82	(-) 0.01	2.00	(-) 0.03	2.26	0.19
निवल	(नामे) 3.83		(नामे) 2.03		(नामे) 2.07	
112-स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)-उच्च	-	25.89	-	52.03	-	39.40
निवल	(जमा) 25.89		(जमा) 52.03		(जमा) 39.40	
123-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	-	0.16	-	0.16	-	0.17
निवल	(जमा) 0.16		(जमा) 0.16		(जमा) 0.17	
129-सामग्री क्रय परिशोधन उच्च लेखा	-	(-) 2.09	-	2.23	-	(-) 3.13
निवल	(जमा) (-) 2.09		(जमा) 2.23		(जमा) (-) 3.13	
निवल योग	(जमा) 10.27		(जमा) 26.68		(नामे) 11.26	

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 4.1

पदों की पारिभाषिक शब्दावली

पद	गणना का आधार
पैमाने की उत्प्लावकता	पैमाने की वृद्धि दर/जीएसडीपी वृद्धि दर
एक पैमाने (क) की अन्य पैमाने (ख) से उत्प्लावकता	पैमाने (क) की वृद्धि दर/ पैमाने (ख) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि})-1]* 100$
विकासात्मक व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य सरकार द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]* 100
रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त औसत ब्याज	रोकड़ शेष निवेश से प्राप्त ब्याज/[(प्रारम्भिक शेष + रोकड़ शेष निवेश लेखे के अंतिम शेष)/2]* 100
ब्याज विस्तार	जीएसडीपी वृद्धि दर - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक* ब्याज विस्तार
बकाया ऋण से प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(कर्जों तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + कर्जों तथा अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]* 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम- राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पद	विवरण
चालू राजस्व शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाइये समस्त आयोजना अनुदान तथा मुख्य शीर्ष "2048-ऋण घटाने अथवा परिहार्य हेतु विनियोजन" के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत बजट अनुदानों के अन्तर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन में निधियों (मूल तथा अनुपूरक) की कुल राशि की तुलना में प्रत्येक के अन्तर्गत किये गये वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान या विनियोजन में अव्ययीत प्रावधानों अथवा अधिक को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाया जाना अपेक्षित है।
स्वायत्तशापी निकाय	स्वायत्तशापी निकाय (सामान्यतः पंजीकृत समितियाँ अथवा सांविधिक निगम) का गठन तब किया जाता है जब-जब यह अनुभव किया जाता है कि निश्चित कार्य सरकार के ढाँचे से बाहर कुछ स्वतन्त्र और लचीलेपन के साथ बिना सरकार के रोज-रोज के हस्तक्षेप के पूरा करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राज्य सरकार का राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज अदायगियाँ, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा अर्थ-सहाय्य शामिल हैं, जिन पर वर्तमान ढाँचे कार्यकारी का सीमित नियंत्रण है।
राज्य की कार्यकारी एजेन्सी	राज्य की कार्यकारी एजेन्सी में किसी संगठन/संस्थान के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठन भी शामिल है जिन्हें राज्य में विशिष्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिये राज्य क्रियान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इत्यादि के लिये राज्य स्वास्थ्य मिशन।
आकस्मिक निधि	विधानमण्डल द्वारा अग्रदाय की प्रकृति के रूप में विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित की गई है जिसमें उस विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय-समय पर प्रदान की जाती है तथा उक्त निधि राज्यपाल के अधिकार में रखी जाती है जो लम्बित अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा अनुच्छेद 116 के अधीन विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत उस व्यय के लिये उसके द्वारा अग्रिम के रूप में प्रदान की जाती है।

पद	गणना का आधार
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन स्थापित निधि है जिसमें सभी प्राप्तियाँ, राजस्व एवं ऋण रखे जाते हैं। राज्य की समेकित निधि से सम्पूर्ण व्यय विनियोजन राजस्व या प्रभारित द्वारा होता है। इसके दो मुख्य प्रभाग हैं-राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूँजीगत लेखा (लोक ऋण एवं कर्जे इत्यादि)।
संदिग्ध दायित्व	संदिग्ध दायित्व किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा भविष्य की घटना जैसे न्यायालय के प्रकरण के परिणाम, पर निर्भर करते हुए बनता/नहीं बनता है।
संचित निधि	एक निधि जिसमें सरकार अपने ऋणों को समाप्त करने के लिये अधिक समय के लिये अलग राशि रखती है।
गारंटी मोचन निधि	गारंटियाँ उधारकर्ता जिसे गारंटी दी गई है की चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं। गारंटी मोचन निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को चाहिये कि भुनायी जाने योग्य बकाया गारंटियों के साथ वर्ष के दौरान दी गई उत्तरोत्तर गारंटियों के परिणामस्वरूप भुनाये जाने योग्य राशि का कम से कम 1/5 वाँ भाग के बराबर अंशदान देवें।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत में जनता से लिये गये नियमित ऋण शामिल हैं, जिसे "भारत में लिये गये ऋण" भी कहा जाता है। इसे सीमित ऋणों के रूप में समेकित निधि में जमा किया जाता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से आशय उस राजस्व व्यय से है जिसमें ब्याज अदायगियाँ शामिल नहीं हैं।
पुनर्विनियोजन	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी ऐसी इकाई को निधियों का अन्तरण है।
अव्ययीत प्रावधान का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के सभी विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोजनों में दृष्टिगत हुए सभी प्रत्याशित अव्ययीत प्रावधानों को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है; वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय इन अभ्यर्पणों की स्वीकृति, जैसा उसके द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, लेखा अधिकारी तथा/अथवा लेखापरीक्षा अधिकारी जैसा भी मामला हो, को वित्त वर्ष समाप्त होने से पूर्व सम्प्रेषित करेगा।
अनुपूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष हेतु व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के लिए मूल बजट में अनपेक्षित किसी "नई सेवा" पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पैदा हो चुकी है, सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोजन प्राप्त करना होगा।
उच्चत एवं विविध	प्राप्ति एवं भुगतान की मर्दे जिन्हें तुरन्त किसी अन्तिम शीर्ष या प्रभार में सूचना की कमी जैसे उसकी प्रकृति या अन्य कारणों से प्रभारित नहीं किया जा सकता है, को अस्थायी तौर पर लेखों के सैक्टर 'एल' के "उच्चत एवं विविध" भाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "8658-उच्चत लेखा" में रखा जायेगा। (अग्रतर मार्गदर्शन के लिये लेखों के मुख्य/लघुशीर्षों की सूची के अन्तर्गत फुट नोट का संदर्भ लेंवें)। किसी सेवा प्राप्ति जिसका पूरा ब्यौरा न दिया गया हो को "उच्चत शीर्ष" में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उसे राजस्व मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत "अन्य प्राप्ति" लघु शीर्ष जिससे वह सम्बन्धित लगता हो में विस्तृत विवरण प्राप्त होने तक उसका अन्तरण सही शीर्ष में लम्बित रखते हुए, जमा किया जाना चाहिए।
जन लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्त लेखे से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के परीक्षण अथवा ऐसे अन्य लेखे अथवा वित्त सम्बन्धी प्रकरणों जो समिति के सम्मुख रखे जाते हैं या जिनकी समिति संवीक्षा करना आवश्यक समझती है, के लिए विधानमण्डल द्वारा गठित एक समिति है।